

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	17]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2019/पौष 19, 1940
No.	<b>17</b> ]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2019/PAUSHA 19, 1940

# वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 17(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1440(अ), तारीख 20 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जो जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अविध की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 20 नवम्बर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं:

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विस्फोटक नियम, 2008 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), नियम 2, में-
  - (क) खण्ड (4) में, "या साइट मिश्रण विस्फोट", शब्दों का लोप किया जाएगा।
  - (ख) खण्ड (24) में, "राकेट, गोले, आाघात टोपियां", शब्दों के स्थान पर " क्विक मैच तथा माइक्रो कोर्ड" शब्द रखें जाएंगे।
  - (ग) खण्ड (24) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

185 GI/2019 (1)

'(24 क) "हवाई आतिशबाजी" से – कम खतरेवाले विस्फोटक, जो ध्विन और आतिशबाज़ी का प्रभाव देने के लिए कागज ट्यूब या ज्वलनशील सामग्री से भरे आवरण के एक मोर्टार के माध्यम से आकाश में अपने ही नोदन या शॉट्स द्वारा चलते है और जिसमें गोले और रॉकेट भी सम्मिलित है अभिप्रेत है;

(घ) खण्ड (25) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'25(क) "आतिशबाजी अनुसंधान और विकास केन्द्र" से वह पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का आतिशबाजी अनुसंधान और विकास केन्द्र' अभिप्रेत है;

- (ङ) खण्ड (35), में-
  - (i) उप- खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
    - (ङ) "उस संगठन या उपक्रम द्वारा लिखित रूप में सरकारी संगठन या केन्द्रीय या राज्य सरकार/ लोक उपक्रम द्वारा नामित कोई अधिकारी;";
  - (ii) के खंड (घ) में आखरी पंक्ति के शब्द 'समझा जाएगा' के स्थान पर 'होगा' शब्द को रखा जाएगा;
- (च) खंड (39) में, हिंदी पाठ की आवश्यकता नहीं है।
- (छ) खण्ड (53) में, "या 5000 मीटर से अधिक के सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 3. मूल नियम में हिंदी पाठ की आवश्यकता नहीं है।
- 4. मूल नियम में नियम 4 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति में वर्गीकृत किया जाएगा।"
- 5. मूल नियम में, नियम 6, में -
  - (क) उप-नियम (1) में <u></u>
  - (i) उप नियम (1) में, " केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र:" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आधिकारिक वेबसाइट" शब्द रखें जाएंगे;
  - (ii) परंतुक में, "परंतु इस नियम की कोई बात", शब्दों के पश्चात "संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ख) उप-नियम (4) में, "विभागीय परीक्षण केन्द्र" शब्दों के पश्चात् "या आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र" अंतःस्थापित किया जाएगा ;
  - (ग) उप-नियम (12) में, "विभागीय परिक्षण केन्द्र", शब्दों के पश्चात" या आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ;
  - (घ) उप-नियम 15 के खंड (i) के उप-खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा;
  - (ङ) उप-नियम (17), में-
    - (i) खंड (vii) में "केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
    - (ii) खंड (viii), के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थातु:–
      - "(ix) मुख्य नियंत्रक संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों हेतु विनिर्मित विस्फोटकों के लिए, रक्षा संगठनों से सहमति और अनुमति के अधीन, क्षेत्र परीक्षण में छूट दे सकते हैं"।
- 6. मूल नियम में, नियम 10, में-
  - (क) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
    - "(ग) विस्फोटको के विनिर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले भवनों को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 7 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

परंतु, संघ के सशस्त्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए भवनों का निर्माण विस्फोटक भण्डारण और परिवहन समिति पुस्तिका 3 के अनुसार किया जाएगा।";

- (ख) उप-नियम (2) में, खंड (ग) में, उप-खंड (V) में "एई-27" शब्द और अंक के स्थान पर "एई-8" शब्द और अंक रखा जाएगा;
- (ग) उप-नियम (5) में,
  - (i) "सूर्यास्त और सूर्योदय " शब्दों के पश्चात "जब तक अन्यथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमत्य" अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (घ) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:
  - '(6क) इन नियमों के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्त परिसर में विशेष रूप से "धूम्रपान निषेध" के चित्र के साथ स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में "धूम्रपान निषेध" का बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा;';
- (ङ) उप-नियम (7) में, (i) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है (ii) खंड (ग) में, "विक्रय", शब्द के पश्चात "उपयोग" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (च) उप-नियम (8) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
- "परंतु, विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त संघटकों के लिए यह उप-नियम लागू नही होगा।"
- 7. मूल नियम के नियम 11 में उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
  - "(5) ऐसे किसी व्यक्ति की फोरमैन के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी जिसने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो और जिसे आतिशवाजी या सुरक्षा फ्यूज विनिर्माण के क्षेत्र में पाँच वर्षों से कम का कार्य का अनुभव हो"
- 8. मूल नियम में नियम 12 में, उप-नियम (1) में, "विनिर्देश", शब्द, के स्थान पर "समय-समय पर यथा संशोधित विनिर्देश आइएस: 2309" शब्द और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- 9. मूल नियम में, नियम 14 में,-उप-नियम (1) के खंड (घ) में, "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "संगम" शब्द को रखा जाएगा।
- 10. मूल नियम में, नियम 15 में, उप-नियम (1) के खंड (i) में,–
  - (क) उप-खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:–
    - "(च) पैकेज की विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) पैकेज के दोनो तरफ चिह्नित, बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में ";
  - (ख) उप-खंड (ठ) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
    - " (ड) -10 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में विस्फोटकों का भण्डारण नहीं किया जाएं"।
  - (ग) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

'परंतु आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के मामले में, उप खंड (क) और (ठ) लागू नहीं होंगे और आतिशबाजी या सुरक्षा फ्युज शब्द, यथा स्थिति, बाहरी पैकेज पर चिह्नित किया जाएगाः

परंतु यह और कि आगे "उप-खंड (च) आतिशबाजी के लिए लागू नहीं होगा।'।

- (घ) उप-नियम (2) में, उप-खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित उप-खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;
  - "(छ) मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से लागू, बाहरी पैकेज पर चिह्नित बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के प्ररूप में पैकेज की विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में)।";
- (ङ) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

- "(3) विस्फोटकों के वर्ग 6 श्रेणी पर चिंहांकन विस्फोटकों के वर्ग 6 श्रेणी 1, 2 और 3 के मामलों में चिंहांकन मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नानुसार होगा: -
- (क) वर्ग 6 श्रेणी 1 (सेफ्टी फ्यूज के लिए): बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में चिह्नित विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) प्रत्येक कॉइल के बाहरी पैकेज पर पर चिह्नित होगी।
- (ख) वर्ग 6 श्रेणी 2 (डेटोनेटिंग कॉर्ड के लिए): प्रत्येक स्पूल के दोनो ओर बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में चिह्नित विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) और डेटोनेटिंग कॉर्ड के हर मीटर पर विशिष्ट पहचान संख्या चिह्नित की जाएगी;
- (ग) वर्ग 6 श्रेणी 2 (डेटोनेटर के लिए): (i) प्रत्येक डेटोनेटर के टुकड़े पर सुस्पष्टता से विनिर्माता का पूर्ण या संक्षिप्त रूप में नाम मुद्रित या उभरा हुआ जाएगा और यदि, संक्षिप्त रूप का उपयोग किया जाता है तो मुख्य नियंत्रक से पंजीकृत किया जाएगा;
  - (ii) प्रत्येक आंतरिक पैकेज जिसमें 100 प्लेन डेटोनेटर है या इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के प्रत्येक गुच्छे पर बारकोड और मानव पठनीय अक्षरों के रूप में चिह्नित विशिष्ट पहचान संख्या (मुख्य नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रारूप में) चिह्नित होगी;
  - (iii) गैर विद्युत डेटोनेटर या डिले डेटोनेटर के मामले में, प्रत्येक डेटोनेटर के टुकड़े पर चिंहांकन बॉक्स पर अंकन की तरह चिह्नांकित रहेगा।"।
- (च) उप-नियम (4) में, "विनिर्माता का नाम", शब्दों के पश्चात, "ज्वलनशील, विस्फोटक, चिंगारियों की बौछार तथा आग के गोलो का उत्सर्जन करता है," शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (छ) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
  - "4(क) आतिशबाजी के आंतरिक पैकेज पर आतिशबाजी विनिर्माण की तिथि, बैच नंबर लिखा जाएगा ।"
- 11. मूल नियम में, नियम 20 में, उप-नियम (1) में, "अनुज्ञप्त कारखाने में", शब्द के पश्चात, "आतिशबाजी विनिर्माण करने वाले कारखाने सिंहत" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा:
- 12. मूल नियम में, नियम 21 में, उप-नियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
  - " परन्तु यह कि संघ के सशत्र बलों और आयुध कारखानों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण कारखानों को, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के रक्षा सुरक्षा पुस्तिका में यथा उल्लिखित सुरक्षा से संबंधित उपबंधो का पालन करना होगा"
- 13. मूल नियम में, नियम 22 में, उप-नियम (2) में, "विद्युत उपस्कर", शब्दों के पश्चात, "आई.ई.सी., आई.एस./ आय.ई.सी. 60079 या आई.एस./ आई.ई.सी. 61241 और आई.एस./ आई.ई.सी. 60529 कोड के अनुरूप या" शब्द और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा:
- 14. मूल नियम में, नियम 24 में,-
  - (क) उपनियम(1) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
    - "(1क) विस्फोटक विनिर्माता, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रणाली में विनिर्मित विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा के ब्यौरा की प्रविष्टि अनुज्ञापन प्राअधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन प्रणाली में करेगा।"
    - (ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थातु:-
    - "(3) अनुज्ञप्तिधारी विनिर्मित, प्राप्त, विक्रय किए गए या अन्तरित या उपयोग किए हुए या नष्ट किए हुए विस्फोटकों (आतिशबाजी के अतिरिक्त) की मासिक विवरणी नियंत्रक के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 5 के भाग 5 में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत करेगा, जिससे कि वह उपर्युक्त प्राधिकारियों को प्रत्येक आगामी माह के दस दिनों के भीतर पहुंच सकें तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन प्रणाली में भी अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक आगामी माह के दसवें दिन के भीतर मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।";
    - (ग) उप-नियम (4) में, "त्रैमासिक" शब्द के स्थान पर "मासिक" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;
    - (घ) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
      - "(5) विस्फोटकों के विनिर्माण या विक्रय या उपयोग के लिए उनके रखने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी द्वारा विस्फोटकों के कार्टरिजों और पैकेजों पर बारकोड जनरेट करने, मुद्रण और बारकोड को

पढ़ने के लिए उपयुक्त स्कैनर के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित आवश्यक सूचना प्रौद्द्योकी ढाँचा भी विकसित किया जाएगा।

- (6) विस्फोटकों के विक्रय या उपयोग हेतु रखने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बारकोड को पढ़ने के लिए उपयुक्त स्कैनर के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी और मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा निर्दिष्ट समय में आवश्यक सूचना प्रौद्द्योकी ढाँचा भी विकसित किया जाएगा।"
- 15. मूल नियम में, नियम 26 में,-
  - (क) उप-नियम (2) के खंड (छ) में, "विस्फोटन उपसाधनों", शब्दों के पश्चात "या आतिशबाजी" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ख) उप-नियम (3) के खंड (ङ) में, "की परीक्षा", शब्दों के पश्चात "स्थल पर" शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ग) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - "(7) विस्फोटकों या आतिशबाजियों के विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्त परिसर या विनिर्माण सुविधाएं किसी भी अन्य व्यक्ति या कंपनी या संस्था को पट्टे पर नहीं दी जाएगी"।
- 16. मूल नियम में, नियम 28 में, परन्तुक में "अस्थायी अनुजा" शब्द के पश्चात, "छह महीने की अवधि से अधिक के लिए नहीं," शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा; मूल नियम में, नियम 29 में 'हाल ही में" शब्दों के स्थान पर ''वर्तमान'' शब्द रखा जाएगा;
- 17. मूल नियम में, नियम 43 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–
  - "43. भूमि मार्ग से आयात या निर्यात.- (1) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां केन्द्रीय सरकार मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें एवं प्रतिबंध लागू करती है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, भूमि मार्ग से विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी।
  - (2) भारतीय मिशन और आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना भूमि मार्ग से विस्फोटकों के निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त नहीं की जाएगी।
- 18. मूल नियम में, नियम 45 में,-
  - (क) उप-नियम (3) में -
    - "(i) खंड (क) में "जो पत्तन पर उतारे जाने आशयित हैं तथा इन नियमों के अधीन जांच, विश्लेषित या परीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित है " शब्दों के स्थान पर, "इन नियमों के अधीन, विस्फोटकों के आवश्यक परीक्षण, विश्लेषण या जांच जैसा वह आवश्यक समझे" शब्द रखें जाएंगे⊦";
    - (ii) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-
    - "(ख) मास्टर या एजेंट, यथास्थिति, खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकारी को विस्फोटकों के उन सभी नमूनो को सौंपेगा जो आवश्यक हो। नमूना अधिकारी यदि चाहे तो नमूने, उनके द्वारा बताए गए किसी विशिष्ट पैकेज से उठाए जाएंगे।";
    - (ख) उप नियम (5), में,-
    - (i) खंड (क) में "प्ररूप सी.ई-1 परीक्षण प्रमाणपत्र में", शब्दों के स्थान पर, यथास्थिति, "नाइट्रो- यौगिक या क्लोरेट मिश्रण के मामले में प्ररूप सीई-1 परीक्षण प्रमाणपत्र में विश्लेषण या जांच रिपोर्ट या " शब्द रखें जाएंगे:
    - (ii) खंड (ख) में "प्ररूप सी.ई-1 परीक्षण प्रमाणपत्र में प्रत्येक प्रमाणपत्र की " शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (ग) उप नियम (6) के खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–
  - "(क) सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा कोई भी आयातित विस्फोटक उतारने के लिए अनुमित तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इन नियमों के अधीन ऐसे विस्फोटकों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त हो और ऐसी अन्य जांच जैसी वह आवश्यक समझे, कर ली गई हो; ":
  - (घ) उप नियम (7) के खंड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित उप- खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

- "(च) किसी भी व्यक्ति को विस्फोटकों का आयात करने हेतु तब तक अनुज्ञप्ति जारी नही की जाएगी जब तक वह आयात करने हेतु आशयित विस्फोटकों के वर्ग और मात्रा को रखने के लिए वैध अनुज्ञप्त परिसर का धारक नहीं है ।"
- 19. मूल नियम में, नियम 46 में, उप-नियम (2) में,-
  - (क) खंड (क) में "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "संघ" शब्द रखा जाएगा;
  - (ख) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-
  - "(3) किसी भी व्यक्ति को विस्फोटकों का निर्यात करने हेतु तब तक अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी जब तक वह निर्यात करने हेतु आशयित विस्फोटकों के वर्ग और मात्रा को रखने के लिए वैध अनुज्ञप्त परिसर का धारक नहीं है ।"
- 20. मूल नियम में, नियम 48 में,-
  - (क) उप-नियम (1) में, "परीक्षण अधिकारी", शब्दों के पश्चात "या विस्फोटक नियंत्रक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
  - (ख) उप-नियम (2) में, परीक्षण अधिकारी, शब्दों के पश्चात् "या विस्फोटक नियंत्रक" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे;
- 21. मूल नियम में, नियम 51 में, उप-नियम (5) में "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "संघ" शब्द रखा जाएगा।
- 22. मूल नियम में, नियम 61 में,-
  - (क) मूल नियम के पार्श्व शीर्षक में "ट्रैक्टर", शब्द के पश्चात, "मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
  - (ख) उप-नियम (1) में, "सड़क यान में किसी विस्फोटक", शब्दों के पश्चात्, "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन या" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
  - (ग) उप-नियम (2) में, "सड़क वैन", शब्दों के पश्चात्, " या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस यथास्थिति, मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
  - (घ) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:
  - "(4) मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन द्वारा विस्फोटकों के सड़क परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति तब दी जाएगी जब -
    - (क) विदेश से मालवाहक डिब्बे में विस्फोटक प्राप्त हो रहे हैं;
    - (ख) विस्फोटको को मालवाहक डिब्बे में अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा हैं, या
    - (ग) आपात स्थिति में मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा से।
  - (5) मालवाहक डिब्बे अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संकेतिकी के अनुरूप होंगे;
  - (6) मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन में ले जा रहे विस्फोटकों का अधिकतम वजन 20 मीट्रिक टन या सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य वाहन की अधिकतम वहन क्षमता, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।"
- 23. मूल नियम में, नियम 67 में, उप-नियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
  - "(12) मुख्य नियंत्रक द्वारा घोषित की तारीख से, जिसको; विनिर्दिष्ट करें विस्फोटकों के परिवहन में उपयुक्त सड़क वैन को टैकिंग प्रयोजन हेतु आवश्यक ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली उपकरणों से उपसज्जित किया जाएगा।"
- 24. मूल नियम में नियम 72 में, उप-नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात:–
  - "(1) मूल पैकेजेस में विस्फोटकों का विक्रय.- विस्फोटकों का विक्रय मूल पैकेजेस में या विशिष्ट पहचान चिह्न युक्त सबसे छोटे पैकेज में किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विस्फोटकों का विक्रय सबसे छोटे पैकेज से कम मात्रा में नहीं किया जाएगा।
  - (1क) नियम 15 के अनुसार प्रत्येक पैकेज पर चिह्नांकन भी किया जाएगा।"
- 25. मूल नियम में नियम 77 में, उप-नियम (2) के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–
- (च) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक परेषिती अनुसूची 5 के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई-11 में परेषक को ऑनलाइन मांगपत्र प्रस्तुत करेगा;

- (छ) प्ररूप आरई-11 में ऑनलाइन मांगपत्र प्राप्त होने पर तथा सम्यक सत्यापन के बाद, परेषक अनुसूची V के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई -12 में ऑनलाइन पास जारी करने के पश्चात मांगपत्र से अनधिक प्रकार और मात्रा में विस्फोटक परेषक को आपूर्ति करेगा;
- (ज) परेषण की प्राप्ति पर, परेषक, अनुसूची 5 के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई -3 में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से तुरंत ही, प्राप्त किए गए विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा की प्रविष्टि करेगा;
- (झ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी विस्फोटकों को रखने तथा उपयोग हेतु अनुज्ञप्तिधारक व्यक्ति, विस्फोटकों के अंतिम उपयोग हेतु ऑनलाइन पास जारी करने के पश्चात ही शॉट-फायरर/ ब्लास्टर्स को अनुसूची 5 के भाग 5 के अंतर्गत प्ररूप आरई -13 में विस्फोटक वितरित करेगा।"।
- 26. मूल नियम में नियम 81 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु, संघ और आयुध कारखानों के सशस्त्र बलों या रक्षा मंत्रालय के अन्य स्थापनों के लिए विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए भवनों का निर्माण विस्फोटक भण्डारण और परिवहन समिति पुस्तिका 3 के अनुसार किया जाएगा।"

- 27. मूल नियम में, नियम 82 में-
  - (क) उपनियम (1) में, "या पाँच हजार मीटर से अनधिक के सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (ख) उपनियम (2) में, "या सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 28. मूल नियम में, नियम 83 में,-
  - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा;

"आतिशबाज़ी, गनपाउडर और छोटे पलीते वाले नाइट्रो यौगिक से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति मे अनुज्ञात कब्जे और विक्रेय के लिए किसी दुकान में भंडारकृत नहीं किया जायेगा।"

- (ख) उपनियम (4) में खंड (ग) में शब्द "तल" के स्थान पर "तलों" शब्द रखा जाएगा;
- 29. मूल नियम में, नियम 84 में, उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम

अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

- "(7) आतिशबाजी की दुकानों के ऐसे समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा, एम्ब्युलेन्स और कम से कम दो अग्नि शमन वाहन उपलब्ध होगें।;
- (8) प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में एक चेतावनी बोर्ड 'विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ ' प्रदर्शित किया जाएगा।"
- 30. मूल नियम में नियम 86 में, उपनियम (2) में, "या सुरक्षा फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 31. मूल नियम में, नियम 87 में,-
  - (क) मूल नियम में, "या सुरक्षित पयूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (ख) नियम 87 के परंतुक में "या सुरक्षित फ्यूज", शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 32. मूल नियम में नियम 90 में, उप-नियम (4) में, " लिया गया था", शब्दों के पश्चात्, "और लौटाएं गए विस्फोटकों के प्रकार और मात्रा की प्रविष्टियां, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन प्रणाली में की जाएगी" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- 33. मूल नियम में, नियम 101 में, उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
  - "(5) विस्फोटकों को रखने तथा उपयोग हेतु किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या कंपनी को अनुज्ञप्ति के लिए अनुमोदन नहीं दिया जाएगा जिसके पास विस्फोटकों को रखने तथा बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हैं तथा यह विलोमतः भी लागू होगा।
  - "(6) उप-नियम (5) में कोई बात विस्फोटक विनिर्माण कारखानों में अवस्थित तथा उससे संबद्ध, उपयोग हेतु रखने के मैगजीन तथा बिक्री हेतु रखने के मैगजीन पर उपर्युक्त उप-नियम लागू नही होगा।"
- 34. मूल नियम में, नियम 107 में, उप-नियम (6) में, "विस्फोटकों के संभलाई और विस्फोटन से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हैं" शब्दों के स्थान पर, "आतिशबाजी तथा या सुरक्षा फ्यूज के विनिर्माण के क्षेत्र में पाँच वर्षों का अनुभव और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है", शब्द रखें जाएंगे;

- 35. मूल नियम में, नियम 108 में -उप-नियम (2) में,-
  - (क) खंड (ग) में "या किसी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में जो कोई व्यष्टि है किसी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र" शब्दों का लोप किया जाएगा:
  - (ख) खंड (ङ) में "परिसरों के कर्तव्यों के अंतरण की बाबत" शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (ग) खंड (झ) के परंतुक में, "आवेदक के पास", शब्दों के पश्चात, "उसी जिले हेत्" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;
- 36. मूल नियम में, नियम 112 में, उप-नियम (10) में,-
  - (क) "तीन" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानो पर जहां वे आ रहे हैं "छह" शब्द रखा जाएगा।
  - (ख) "पुर्नविधिमान्यकरण" शब्द के स्थान पर "नवीकरण" शब्द रखा जाएगा।
- 37. मूल नियम में, नियम 113 की सारणी में, -
  - (क) क्रम संख्यांक 1 में, स्तंभ संख्या 6 में मद संख्या (vii) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–
    - "(viii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (ख) क्रम संख्यांक 2 में, स्तंभ संख्या 6 में मद संख्या (ix) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    - "(x) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (ग) क्रम संख्यांक 3 में,स्तंभ संख्या (6) में मद संख्या (ix) के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
    - "(x) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (घ) क्रम संख्यांक 4 में,
    - (i) स्तंभ संख्या (6) में,-
      - (i) मद संख्या (vii) का लोप किया जाएगा
      - (ii) मद संख्या (viii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"(ix) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (ड़) क्रम संख्यांक 5 में,
    - (iii) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (viii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जायेगा, अर्थात :–
    - "(ix) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (च) क्रम संख्यांक 6 में,
    - (i) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (viii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
    - "(ix) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (छ) क्रम संख्यांक 7 में,
    - (i) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (x) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
    - "(xi) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
  - (ज) क्रम संख्यांक 9 में,
    - (i) स्तंभ संख्या (2) में संख्या और शब्द "25 किलोग्राम" के स्थान पर संख्या और शब्द "50 किलोग्राम", रखे जाएंगे;

- (ii) स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (v) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - "(vi) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (झ) क्रम संख्यांक (10) में, स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
  - "(vii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (ञ) क्रम संख्यांक 11 में, स्तंभ संख्या (6) में, मद संख्या (vii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
  - "(viii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (ट) क्रम संख्यांक 12 में,
  - (i) स्तंभ संख्या (2) में " या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;
  - (ii) स्तंभ (6) में, मद संख्या (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(vii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (ठ) क्रम संख्यांक 14 में, स्तंभ (6) में, मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
  - "(v) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (ड) क्रम संख्यांक 15 में,
  - (i) स्तंभ 2 में शब्द "चीनी" के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;
  - (ii) स्तंभ (6) में मद (iv) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "(v) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (ढ) क्रम संख्यांक 16 में, स्तंभ (6) में, मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– "(v) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (ण) क्रम संख्यांक 19 में,
  - (ii) स्तंभ संख्या (2) में शब्द "चीनी" के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;
  - (iii) स्तंभ संख्या 6 में,
    - (अ) मद संख्या (iv) का लोप किया जाएगा,
    - (**आ**) मद संख्या (v) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
  - "(vi) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- (त) क्रम संख्यांक 21 में, स्तंभ संख्या 2 में "सड़क वैन", शब्द के पश्चात "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन"; शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (थ) क्रम संख्यांक 22 में, स्तंभ संख्या (2) में "भूमार्ग से भिन्न "शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (द) क्रम संख्यांक 23 में, स्तंभ संख्या 6 में, मद संख्या (vii) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
  - "(viii) परिसर के वास्तविक कब्जे के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां."
- 38. मूल नियम में, नियम 115 में, उप-नियम (1) के खंड (ख) में, "दांडिक अपराध", शब्दों के पश्चात्, "किसी भी हिंसा या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तथा उसे दंड की समाप्ति के पश्चात पाँच साल की अविध के दौरान किसी एक समय पर, छह महीने की अविध से अनिधक के लिए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- 39. मूल नियम में, नियम 118 में, उप-नियम (1) के खंड (I) में,-
  - (क) उप-खंड (ख) में, "दांडिक अपराधों", शब्दों के पश्चात "िकसी भी हिंसा या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तथा उसे दंड की समाप्ति के पश्चात पाँच साल की अविध के दौरान किसी एक समय पर, छह महीने की अविध से अनिधक के लिए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ख) उप-खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
    - "(ग) अनुज्ञप्त परिसर या विनिर्माण सुविधाओं को किसी अन्य व्यक्ति, कंपनी, सोसाईटी आदि को पट्टे पर दिया गया हैं "।
- 40. मूल नियम में, नियम 124 में अनुदत्त उसकी कोई अधिप्रमाणित प्रति खो जाती है या संयोगवश नष्ट हो जाती है तो अनुसूची 4 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट फीस के संदत्त कर दिए जाने पर उसकी दूसरी प्रति जारी की जा सकती है।" शब्दों के पश्चात ''खो जाती है या दुर्घटना पूर्ण विनष्ट हो जाती है अनुलिपि प्रति जारी की जा सकेगी" शब्द रखे जाएगे
- 41. मूल नियम में, नियम 131 में, उप-नियम (1) में, "दुर्घटना होने के चौबीस घंटे के भीतर, टेलीफ़ोन, टेलीग्राम" शब्दों के स्थान पर" दुर्घटना होने के बारह घंटे के भीतर, टेलीफ़ोन" शब्द रखें जाएंगे;
- 42. मूल नियम में अनुसूची ।, भाग 1 में विस्फोटकों के वर्गीकरण से संबंधित
  - (क) वर्ग 2 में नाइट्रेट मिश्रण वर्ग, "क्लोरेट के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "पर क्लोरेट" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ख) वर्ग 3 में, नाइट्रो यौगिक वर्ग, क्रम सं. 2 में, "वर्ग" शब्द के पश्चात "हुआ" शब्द अंत∶स्थापित किया जाएगा;
  - (ग) वर्ग 7 आतिशबाजी वर्ग में,
    - (i) क्रम संख्या (5) और इससे जुडी हुई प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–
      - "(5) प्रभाग 2 के उप प्रभाग 1 की आतिशबाजी के अधीन आतिशबाजी है जो मुख्य नियंत्रक की राय में स्वयं अनुपाततः कम खतरनाक है और जिनमें तेजी से विस्फोट नहीं हो सकता है या जो तुरन्त विस्फोट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो स्पार्कलर चोरसा पटाखे, सर्पेंट, आदि हैं।
    - (ii) क्रम संख्या (6) में, "अधिक परिसंकटमय", शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 43. मूल नियम में अनुसूची 2, 'अंतर्देशीय परिवहन के लिए विस्फोटकों का पैक किया जाना' से संबंधित भाग 1 में -
  - (क) क्रम संख्या (3) के पश्चात, निम्न क्रम संख्या को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु :-
    - "(4)(क) विस्फोटकों के पैकिंग और परिवहन के लिए बाहरी पैकेज का केवल एक ही बार उपयोग किया जाएगा।
    - (ख) बाहरी पैकेज में रखे विस्फोटकों को निकालने के पश्चात, बाहरी पैकेज को नष्ट किया जाएगा।"
  - (ख) सारणी में

मद संख्या 23 के स्तंभ (4) में दर्शाई गई विद्यमान प्रविष्टि के सामने का निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रातिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"25 किलोग्राम"

- 44. मूल नियम के अनुसूची IV, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापन प्राधिकारी से संबंधित भाग 1 में,-
  - (क) अनुच्छेद संख्या 3 के स्तंभ 2 में,
    - (i) मद संख्या (क) में, अंक "25" के स्थान पर "50" अंक रखें जाएंगे;
  - (ii) मद संख्या (घ) के स्तंभ 2 में, "या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ख) अनुच्छेद संख्या 5 में, स्तंभ (2) में,
    - (क) मद संख्या (ख) में "चीन" शब्द के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;
    - (ख) मद संख्या (च) में "चीनी" शब्द के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;

[भाग II—खण्ड 3	(i)]	भारत	त का राजपत्र : असाधारप	Л	11
				ाश्चात, "या मोटर ट्रक ाःस्थापित किया जाएग	पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस ा;
(घ) अनुच्छेद	संख्या 8 के स्तंभ (	2)  में, "भूमि से उ	भन्यथा" शब्दों का लोप	ग किया जाएगा <u>;</u>	
45. मूल नियम वे	क अनुसूची 5 के,	•			
(क) भाग 1	आवेदन प्ररूप में –				
(i) ''प्र	रूप एई-1 से एई- <sup>-</sup>	11'' के स्थान पर	- निम्नलिखित नए प्ररूप	। रखें जाएंगे, अर्थातः –	
			"प्ररूप एई -1		
		(विस्फोटक नि	यम, 2008 का नियम	113 देखिए)	
	विस्फोटकों ह	•		" ोदन या अनुदान या संश	। गोधन
			ं अंतरण के लिए आवेद		
पयोजन (कपया	चिन्हित करें ): अ	नमोदन	ं ] अनदान ि ।	संशोधन 🔲 अंत	ारण
	। साह्य करा. ।कार: व्यक्तिगत [				
	कार: व्याक्तगत				
्र. 2. आवेदक का ब	, .				
		की मांग की गई :	है (नीचे टिप्पण देखिए	r)	
` '	•		<sub>रु (साच ।८०५</sub> ज दाखर गंजीकरण संख्या	••	
` ,	ः इे व्यष्टि, तो उसकी	*			
` '		9			
*				पिन कोड	
•		नं	मोबाइल नं	ई-मेल	
3. प्रस्तावित परि			<del></del> / <del></del>	·	
				 टेशन	
	•				
9			।अः।। गेन कोड		
					ौरा दें और यदि अपेक्षित ह <u>ो</u>
पृथक पन्ना संलग्न			,		
		~ `			
5 विभिन्न उत्पाद	ो के अनुमोदित वा 	षिक क्षमता के सा	ाथ औद्योगिक अनुज्ञप्ति 	ंकाब्यौरा (प्रतिसन् 	लग्न करें): 
6. विनिर्मित किए	ए जाने वाले विस्फ <u>ं</u>	ोटकों का ब्यौरा:			
प्रस्तावित उत्पाद	वर्ग और प्रभाग	यू.एन. वर्गीकरण	प्रस्तावित प्रतिदिन	प्रस्तावित वार्षिक	औद्योगिक अनुज्ञप्ति के
(विस्फोटकों का		और संख्या	उत्पादन (मीट्रिक टन/	उत्पादन (मीट्रिक टन/	अनुसार वार्षिक क्षमता
नाम)			मिलियन नं./ मिलियन मीटर में।	मिलियन नं./ मिलियन	(मीट्रिक टन/ मिलियन नं./ मिलियन मीटर में)
1			THICK HI	THICK HI	HERMAN HICA HI

7. (क) अ	7. (क) अनुमोदित बीएमडी वाहन का ब्यौरा   (एसएमई संयंत्र के मामले में)									
अनु क्र.	रजस	ट्रीकरण संख्या	अनुमोदन संख	या	इंजन संख्य	ग	चेसिस संख्या		उत्पादन क्षमता (एमटी)	
8. प्रस्तार्ग	वित संशो	धिन का ब्यौरा या	अतिरिक्त जानका	ारी						
9. (क) ि हो	वेस्फोटक 	अधिनियम, 188 <sub></sub>	4 के अधीन अन्य	अनुज्ञा	प्तियों का ब्यौरा <b>,</b> 	यदि	आवेदक द्वारा f 	वेगत 	10 वर्षों से धारित 	
(ख) क्या	कोई अर्	नुज्ञप्ति रद्द की गई य	या नवीकृत नहीं व	ति गई	? हाँ नह	<u>î</u> 1				
यदि	हाँ, तो ज	गनकारी दें								
		वेदक को पिछले 10 इराया गया है या बं							न किसी अपराध के	
(ख) य	प्रदि हां, त	नो कृपया <mark>ब्</mark> यौरा दे								
11. संल	ग्न दस्तावे	जों की सूची:								
मैं यह प्रग	माणित क	रता हूँ कि मेरे द्वा	रा ऊपर दी गई वि	वेशिष्टि	!यां सही हैं।					
							आवेदक के हस्त			
स्थान :					पूरा नाम					
					(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)					

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाएं।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए। कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई - 2 (विन्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)  किसी एक समय में 200 से अनिबेक एडिकर्ट्टन के विनिर्माण के लिए, किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनिबेक वारूद रखने के लिए अनुजिस हेतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन  प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें ): अनुमोदन अनुदान संशोधन अंतरण केपनी भागीदारी फर्म (कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म सोमाइटी 2. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत सोमाइटी 2. आवेदक का व्यौरा:  (क) नाम, जिसमें अनुजित की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) (ब) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या (ग) यदि व्यष्टि, तो उमकी आयु (व) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या (श) डाक पता जिला पिन कोड एसटीडी कोड सिहत फोन नं मोबाइल नं	[ भाग II—खण्ड 3(i)]	भार	त का राजपत्र : असाध	ारण	13
किसी एक समय में 200 से अन्धिक एडिबर्ट्ड के विनिर्माण के लिए, किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अन्धिक बारूद रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवंदन    प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें ): अनुमोदन		( <del>Dun) D</del>	, ,		
से अनधिक बारूद रखने के लिए अनुज्ञप्ति हेंतु अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन  प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें ): अनुमोदन जिन्हित करें ): अनुमोदन जिन्हित करें ): अनुमोदन जिन्हित करें ): अनुमोदन जिन्हित करें ) सांपत्तिक फर्म जिन्हित करें ) सांपत्तिक कर्म जिन्हित करें ) सांपत्तिक कर्म जिन्हित करें । सांपत्तिक सांपत्तिक करें । सांपत्तिक सांपत्तिक सांपतिक सा		,	•	<i>"</i>	
1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत किपनी भागीदारी फर्म (कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म सोसाइटी 2. आवेदक का व्यौरा:  (क) नाम, जिसमें अनुजप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)	से अनधिक बारूद रखने				
1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत किपनी भागीदारी फर्म (कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म सोसाइटी 2. आवेदक का व्यौरा:  (क) नाम, जिसमें अनुजप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)					
(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म सोसाइटी	प्रयोजन (कृपया चिन्हित	करें ): अनुमोदन 🔃 अ	नुदान 🔃 संशो	धन अंतरण	
2. आवेदक का ब्यौरा:  (क) नाम, जिसमें अनुजप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)	1. आवेदक के प्रकार:	व्यक्तिगत कंपर्न	ोभागीदारी	फर्म	
(क) नाम, जिसमें अनुजप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)	(कृपया चिन्हित करें)	सांपत्तिक फर्म 🌅 सोग्	साइटी		
(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या  (ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु  (घ) डाक पता  शहर	2. आवेदक का ब्यौरा:				
(ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु	(क) नाम, जिसमें	अनुज्ञप्ति की मांग की गई	है (नीचे टिप्पण देखि	<b>ा</b> ए)	
(घ) डाक पता	(ख) आधार संख्य	ा/ सीआईएन संख्या/ फर्म	पंजीकरण संख्या		
शहर जिला राज्य पिन कोड एसटीडी कोड सहित फोन नं मोबाइल नंई-मेल  3. प्रस्तावित परिसर का पता:  सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं	(ग) यदि व्यष्टि, त	गो उसकी आयु			
एसटीडी कोड सहित फोन नं	(घ) डाक पता				
एसटीडी कोड सहित फोन नं					
3. प्रस्तावित परिसर का पता:  सर्वें/ गाटा नं./खसरा नं	शहर	जिला	राज्य	पिन कोड	
सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं	एसटीडी कोड	सहित फोन नं	मोबाइल नं	ई-मेल	
मंडल/तालुक/तहसील	3. प्रस्तावित परिसर का प	ता:			
पुलिस थाना जिला पिन कोड पिन कोड पिन कोड पिन कोड क्योरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)	सर्वे/ गाटा नं./खर	<sub>यरा</sub> नं	नगर/	गांव	
राज्य पिन कोड  4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)  5 (क) किसी एक समय में रखे जाने हेतु प्रस्तावित बारूद की मात्रा:	मंडल/तालुक/तहः	सील	रेलवे	स्टेशन	
4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक पन्ना संलग्न करें)         5 (क) किसी एक समय मे रखे जाने हेतु प्रस्तावित बारूद की मात्रा:	पुलिस थाना		जिला		
हो पृथक पन्ना संलग्न करें)	राज्य	f	पेन कोड		
(ख) एक समय में विनिर्मित और रखे जाने के लिए प्रस्तावित एडिवर्ट्ड्स की मात्रा 6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:		ा नियोजित तकनीकी कम्	यों की अर्हताएं और	अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा	<sup>·</sup> दें और यदि अपेक्षिक
(ख) एक समय में विनिर्मित और रखे जाने के लिए प्रस्तावित एडिवर्ट्ड्स की मात्रा 6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	5 (क) किमी एक ममग्र मे		 कट की मात्राः		
6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:					
	(ख) एक समय में विनिग्	र्नेत और रखे जाने के लिए	प्रस्तावित एडिवर्ट्डस	त की मात्रा	
	6 संलग ट्रस्तावेजों की म	 <del>-</del> -∩-			
	•	`	वेशिष्टियां सही हैं।		

ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम -----(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाएँ।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।

(2) -119 11 11 11 11		11 (11 (11 (11)	36			
(3) उपरोक्त सूचना गं	में किसी परिवर्तन की सू	चना तुरन्त अनुज्ञाः	पन प्राधिकारी या अनु	ज्ञप्ति नवीकरण प्राधि	ग्रेकारी को दी ज	ाए।
<b>कानूनी चेतावनी</b> : वि	वेस्फोटकों को गलत ढंग	से संभलाई और उन्	नका दुरूपयोग विधि <sup>ः</sup>	के अधीन गंभीर अपर	तध माना जाएग	ПΙ
		प्ररूप	एई -3			
	(विस्प	गेटक नियम, 2008	3 का नियम 113 देखि	ब्रए)		$\neg$
	ोन में रखने और उनके ि रखने के लिए अनुज्ञप्ति					
- प्रयोजन (कृपया चिर्	- न्हित करें ): अनुमोदन	अनुदान	संशोधन 📗	अंतरण 💮		
1. आवेदक के प्रकार (कृपया चिन्हित करें)		 नी भाग ]	ोदारी फर्म से	ोसाइटी		
2. आवेदक का ब्यौरा	Γ:					
(क) नाम, र्	जेसमें अनुज्ञप्ति की मांग	की गई है (नीचे टि	प्पण देखिए)			
(ख) आधार	संख्या/ सीआईएन संख्य	गा/ फर्म पंजीकरण	संख्या			
(ग) यदि व्य	पष्टि, तो उसकी आयु					
(घ) डाक प	ता					
श	हर जि	ला	- राज्य	पिन कोड		
एर	सटीडी कोड सहित फोन	नंमो	बाइल नं	ई-मेल		
3. प्रस्तावित परिसर	का पता:					
सर्वे/ गाटा न	नं./खसरा नं		नगर/गांव			
मंडल/तालुव	क/तहसील		रेलवे स्टेशन			
पुलिस थान	Т	जिल	Т			
राज्य		पिन कोड		_		
4. आवेदक और उसवे हो पृथक पन्ना संलग्न	के द्वारा नियोजित तकनी <sup>-</sup> करें)	की कर्मियों की अह	र्हताएं और अनुभव    । 	(व्यक्तियों का ब्यौरा <sup>ह</sup> 	इँ और यदि अपेर् <u>ा</u> 	क्षेत
5. रखने और बिक्री हे	हेतु प्रस्तावित विस्फोटक	ों की मात्रा:				
क्रम संख्या	विस्फोटकों का ब्यौरा	वर्ग और प्रभाग	रखी जाने हेतु प्रस्तार्ग मीटर में)	वेत मात्रा (कि.ग्रा. /	संख्या /	
			एक समय पर	एक मास मे	†	

6. (क) रखने और अंतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित आतिशबाजी: (भंडारगृह में आतिशबाजी रखने के मामले में):

क्रम संख्या	आतिशबाजी का ब्यौरा	वर्ग और प्रभाग	रखी जाने हेतु प्रस्तावित से अनधिक)	त मात्रा (5000 कि.ग्रा. (कि.ग्रा. में)
			एक समय पर	एक मास में

											ı
											ı
											1
(ख) आवेट	 கக்கவ	 भिन्त की	े अनुसान	थानिश	 टाजीः	 टकान जिस्	 ग्रों आ	 तेशबाजी अंतरि	l त किया जाना	प्रसाति	त है उसकी
			। जनुझक्त । विवरणः	બાાતરા	जाणा <sup>.</sup>	<u>पुत्रमम्</u> गाजस	ान जा।	तराषाणा जतार	त ।कथा जाना	якши	त रु, उत्तरम
	(i)										
(ii)											
(iii)											
7. रखने और उपयोग किए जाने हेतु विस्फोटकों की मात्रा :											
क्रम	संख्या		टकों का	वर्ग				रखी जाने हेतु प्र	स्तावित मात्रा		
		જ જ	गौरा	प्रभ	ाग			(कि.ग्रा. /संख्य	ग्र /मीटर में)		
						एक सम	य पर	प्रतिदिन उप	योग के लिए	एक म	ास में
८ क्या परिर	पर विस्प	। गेटकों के	विनिर्माण	के लिए	अनज्ञ	। म किसी क	ार खाने	। से संलग्न है?ः	 हां नद्री		
					-			ा जना एः हो तो पृथक प		):	
					. ,						
10. क्या स्थ	ल खान अ	धिनियम	म, 1952 <sup>हे</sup>	<sub>ह</sub> अधीन	आता	है ) :					
11. प्रस्तावि	त ब्लास्टिं	ग श्रेणी	(कृपया नि	शान ल	गाएँ): (	(1) सुर्योदय	र से सूय	र्गस्त			
` ,											
. , ,	•	•						र का नाम:			
(ख) प्रमाणप	त्र संख्या	और उसव	की विधिमा	ान्यता (	प्रति सं	लग्न की ज	ाए) :				
यदि नही, त	Ť										
क. प्रस्	तावित क्रि	याकलाप	ा का ब्यौर	Γ							
(ਫ	स्तावेजी	साक्ष्य, जै	ासे कार्यादे	श / खद	ान पट्टा	। संलग्न करें	<del>(</del> )				
ख. शॉ	ट फायरर	का नाम	Γ								
(ग) प्रमाप	गपत्र संख्य	ग और उ	सकी विधि	धेमान्यत	π						
12. मैगजीन से उस स्थल की दूरी, जहां विस्फोटक प्रयुक्त किए जाएंगे :											

13. परिवहन का ढंग : रोड वैन द्वारा..... अन्य माध्यम .... (कृपया निर्दिष्ट करें)

14. रोड वैन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां						
15. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अ हो	नुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक   द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित 					
् (ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत न जानकारी दें						
16. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध						
लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित  कर						
(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे						
17. संलग्न दस्तावेजों की सूची:						
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी न	गई विशिष्टियां सही हैं।					
तारीख:	ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर					
स्थान :	पूरा नाम					
<u> </u>	(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)					
टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावे						
	सी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए					
(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन प	कोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।					
(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अ	मनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।					
कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई औ	- ार उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।					
•	प्ररूप एई -4					
(विस्फोटक नियम,	2008 का नियम 113 देखिए)					
कुंआ खोदने में प्रयुक्त ट्रेक्टर या मोटर ट्रक आधा अनुदान या संशोधन या ३	रित कंप्रेसर के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या					
प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन अनुदार						
त्रवायस (कृतवा स्वान्ह्य कर्). अधुसादसअधुराः 1. आवेदक का ब्यौराः	T TAMEN STATES					
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे वि	·प्पण देखिए)					
	मित्व भागीदारी फर्म					
(कृपया चिन्हित करें) सोसाइटी कंपनी						
(ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु						
(घ) डाक पता						
(1) 211. (4)						
शहर जिला	राज्य पिन कोड					
(ङ) एसटीडी कोड सहित फोन नं	मोबाइल नं ई-मेल -					

2. आ	वेदक की	अर्हता और अनुभव:			
(	क) आवेद	क की अर्हता			
(	ख) आवेद	क का विस्फोटकों की संभलाई और	विस्फोटन में अनुभव (वर्षों ग	में)	
(	ग) कार्यर	त शॉट फायरर का अनुज्ञप्ति क्रमांक			
3. (क <u>-</u>	) उस परि	रेसर का पता, जहां कंप्रेसर आधरित 	मोटर ट्रक या ट्रैक्टर, जब प्र <sup>.</sup> 	योग में न हो, सामान्यता खड़ा 	किया जाता है:
(ख) उर है		ो विशिष्टियां, जहां कंप्रेसर आधरित ग	मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का कुंआ	खोदने के प्रयोजन के लिए प्रयं	ोग किया जाता
	-	क्री के लिए प्रस्तावित विस्फोटकों की	ो मात्रा:		
		विस्फोटकों का वर्ग एवं नाम	आवेदित मात्रा	अनुमत अधिकतम मात्रा	
			(कि.ग्रा./संख्या/ मीटर)	(कि.ग्रा./संख्या/ मीटर)	
		विस्फोटक वर्ग 2 और/या 3		25 कि.ग्रा	
		सूरक्षा फ्यूज वर्ग 6(1)		200 मीटर	
		डेटोनेटिंग फ्यूज वर्ग 6(2)		100 मीटर	
		डिटोनेटर्स वर्ग 6 (3)		200 संख्या	
5. कंप्रे	सर आधर्ी	् रित मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का ब्यौरा :	l		
	(क)	मैक तथा मॉडल	(ख) पंजी <sup>ृ</sup>	करण संख्या	
	(ग)	इंजन संख्या	(घ) चेसीस (घ) चेसीस	ा संख्या	
	(룡)	वाहन के पंजीकृत स्वामी का नाम	·		
	(च)	विस्फोटकों बक्सों का ब्यौरा : फै	ब्रीकेटर का नामअनु	मोदन संख्या	
6. (क)		गवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौन हां/नहीं)	रान विस्फोटक अधिनियम,	1884 के अधीन अन्य अनु	ज्ञप्ति धारित र्क
(ख)	क्या अ (हां/नह	॥वेदक द्वारा धारित किसी अनुज्ञप्ति <sup>इ</sup> हीं)	को पिछले 10 वर्षों के दौरा	न रद्द किया गया या नवीकृत न	हीं किया गया
(ग)		गवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरा सेद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र			
	यदि उ	परोक्त किसी प्रश्न का उत्तर हां है, त	गो ब्यौरा दें		
7. संल	ग्न दस्ताव <u>े</u>	वेजों की सूची:			
मैं यह	प्रमाणित	करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई ि	विशिष्टियां सही हैं।		
तारीख			ऊपरोक्त बॉक्स में आवेद	क के हस्ताक्षर	
स्थान :			पूरा नाम		
			(कंपनी की दशा में प्राधि	ोकृत व्यक्ति)	

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए। कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -5
(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)
अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुच्छेद 5(क) से 5(च) के अनुसार प्ररूप एल.ई. 5 में अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन
प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन अनुदान संशोधन अंतरण  1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत कंपनी भागीदारी फर्म सोसाइटी (कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म  2. आवेदक का ब्यौरा: (क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए) (ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या
(घ) डाक पता जिला राज्य पिन कोड पिन कोड एसटीडी कोड सहित फोन नं मोबाइल नं ई-मेल
3. प्रस्तावित परिसर का पता:
सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं
मंडल/तालुक/तहसील
पुलिस थाना
राज्य पिन कोड
4. आवेदक की अर्हताएं और अनुभव
5. रखने हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा:
क्रम संख्या विस्फोटकों का वर्ग और प्रभाग किसी एक समय रखी जाने के लिए प्रस्तावित नाम और ब्यौरा मात्रा (कि.ग्रा. /संख्या /मीटर में)

6. यदि विस्फोटक प्रयुक्त किए जाने हैं तो प्रयोग के	प्रयोजन से संबधित विशिष्टियां दी जाए
7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अ	 न्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्ष से धारित हो
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नही	 iं की गई?  हाँ नही
यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे	
	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए दित करने का आदेश दिया गया है? हां नहीं
(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे	
9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊप	र दी गई विशिष्टियां सही हैं।
तारीख:	
स्थान :	पूरा नाम
	(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले	दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।
	किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न
(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित र	रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए ।
(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तु	रन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए ।
कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभल	गाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा ।
	प्ररूप एई -6
(विस्फोटक वि	नेयम, 2008 का नियम 113 देखिए)
आतिशबाजी के प्रदर्शन के लोक अनुज्ञप्ति के अनुमोद	न या अनुदान के लिए आवेदन
प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें) ): अनुमोदन	अनुदान
1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत कंपनी	भागीदारी फर्म सोसाइटी
(कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म	
2. आवेदक का ब्यौरा:	
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई	हे है (नीचे टिप्पण देखिए)
(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म	पंजीकरण संख्या
(ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु	
- (घ) डाक पता	
शहर जिला	राज्य पिन कोड
एसटीडी कोड सहित फोन नं	मोबाइल नं ई-मेल

3. प्रस्तावित परिसर का पता:	
सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं	नगर/गांव
मंडल/तालुक/तहसील	रेलवे स्टेशन
पुलिस थाना पिन कोड	जिला राज्य 
	की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो
पृथक पन्ना संलग्न करें)	
5. प्रदर्शन का अधीक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम, अर्ह	ता और अनुभवः
6. उपयोग की जाने वाली आतिशबाजी का वर्णन और म	।त्रा :
7. आतिशबाजी के आपूर्तिकर्ता की विवरणियां:	
(क) नाम	
(ख) पता	
. , ,	
8. स्थल का ब्यौरा जहाँ आतिशबाजी को भंडारित किया	
9. (क) प्रदर्शित की जाने वाली आतिशबाजी का वर्णन अ	
(ख) प्रदर्शन की तारीख और समय:	
(ग) जहां प्रदर्शन किया जाएगा उस स्थान की अवस्थि	ति:
10. <b>(</b> क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य हो	। अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा  विगत 10 वर्षों से धारित 
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं	की गई? हाँ नही
यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे	
सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित	प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए करने का आदेश दिया गया है? हां नहीं
(ख) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे	
12. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी	गई विशिष्टियां सही हैं।
तारीखः	ऊपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान :	पूरा नाम
	(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
टिप्पण: कपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्त	विजों के लिए नियम देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए ।
- **कानूनी चेतावनी**: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -7					
(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)					
सड़क वैन या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन					
प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुमोदन अनुदान संशोधन अंतरण					
1. आवेदक का ब्यौरा:					
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)					
(ख) आवेदक का प्रकार: व्यक्तिगत स्वामित्व भागीदारी फर्म					
(कृपया चिन्हित करें) सोसाइटी सांपत्तिक फर्म					
(ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु					
(घ) डाक पता					
शहर जिला राज्य पिन कोड					
शहर।जल। ।ऽजल। ।ऽज्य।पन क।ड (ङ) एसटीडी कोड सहित फोन नं मोबाइल नं ई-मेल					
(ङ) एसटाडा काड साहत कान न माबाइल न ६-मल 2. उस परिसर का पता, जहां विस्फोटक वैन को सामान्यता खड़ा किया जाता है:					
3. वहन किए जाने वाले विस्फोटकों का प्रकार और मात्रा:					
4. सड़क वैन/ फ्रेट कंटेनर का ब्यौरा :					
(क) मैक तथा मॉडल(ख) पंजीकरण संख्या					
(ग) मंग तथा माडल(ख) येजायरण संख्या (ग) इंजन संख्या					
(ग) इंजर्ग तेख्या ( <b>च</b> ) ट्रेलर चेसीस संख्या और मेंक ( यदि लागू हो)					
( <b>छ</b> ) कंटेनर पहचान संख्या					
( <b>ज</b> ) फ्रेट कंटेनर का ब्योरा					
( <b>झ</b> ) वाहन के पंजीकृत मालिक का नाम					
( <b>ञ</b> ) सकल यान भार (कि.ग्रा.में)(ट) बिन लदाई भार (कि.ग्रा.में)					
(ठ) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा वहन क्षमता(कि.ग्रा.में)					
5. विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा , यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो					
जानकारी दें					
7. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के निए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां नहींयदि हां, तो कृपया ब्योरा दे -					
8. संलग्न दस्तावेजों की सूची:					
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।					

22		THE G	AZETTE OF INDIA	: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
			उपरोक्त	बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्ष	र
स्थान :				पूरा नाम	
				(कंपनी की दशा में प्राधिकृत	न व्यक्ति)
टिप्पण:	कृपया प्रयोज	जन और संलग्न किए ज	नाने वाले दस्तावेजों के	लिए नियम देखिए।	
और					नेयम 2 के अनुसार अधिभोगी क्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न
(2) अधि	प्रेभोगी के पा	सपोर्ट आकार की हस्ल	ताक्षरित रंगीन फोटो व	ने छह प्रतियां संलग्न की जाए	ζΙ
(3) उपर	रोक्त सूचना	में किसी परिवर्तन की	सूचना तुरन्त अनुज्ञाप	न प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नव	त्रीकरण प्राधिकारी को दी जाए।
कानूनी ः	<b>चेतावनी</b> : वि	स्फोटकों को गलत ढं	ग से संभलाई और उनव	<b>हा दुरूपयोग विधि के अधीन</b>	गंभीर अपराध माना जाएगा।
			प्ररूप ए	, <del>ई</del> -8	
		(वि	स्फोटक नियम, 2008	का नियम 113 देखिए)	
		विस्फोट	कों के आयात या निय	ति के अनुदान के लिए आवेद	न
प्रयोजन	। ((कृपया चि	।न्हित करें):  विस्फोट	कों का आयात 🔃	विस्फोटकों का निर्यात	
 1.आवेद	 इक का ब्यौर	ा: व्यक्तिगत	स्वामित्व	भागीदारी फर्म	सोसाइटी
(कृपय	ा चिन्हित क	 रें) सांपत्तिक फर्म			
	इक का ब्यौर	•			
<i>(</i> क) ः	नाम. जिसमें	अनज्ञप्ति की मांग की	। । गई है		
` '		9			
, ,		ŕ			
		· ·			
(9)	डाक पता				<del></del>
or <del>az</del>				पिन कोड	
_				।पन काड ई-मेल	
		<sub>.</sub> हत फान न ायात और निर्यात का			<del></del>
<b>उ.</b> ।वरू		यात आर  नयात क  			T
	क्रम 		ब्यौरा		
	सख्या				
	1.	निर्यातः	->	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		(क)नियात किए अधिकृत नाम और	जाने हेतु प्रस्तावित वर्ग	विस्फोटकों का वर्गनाम,	
		(ख)निर्यात किए उ मात्रा	जाने हेतु प्रस्तावित व <u>ि</u>	त्रेस्फोटकों का प्रकार एवं	
		आयातः			
				विस्फोटकों का नाम और भाग और अनुकूलन समूह	
		(ख) आयात किए मात्रा	जाने हेतु प्रस्तावित रि	वेस्फोटकों का प्रकार एवं	

2.	(क) निर्यात की दशा में परेषिती का नाम और पता
	(ख) आयात की दशा में परेषक का नाम और पता
3.	आयात / निर्यात का ढंग (जल/हवाई मार्ग/सड़क मार्ग)
4.	(क) जल / हवाई मार्ग से निर्यात की दशा में स्थान या प्रेषण का पत्तन।
	(ख) सड़क मार्ग से निर्यात की दशा में भारतीय सीमा का नाम।
	(ग) आयात की दशा में लदान के विदेशी पत्तन का देश।
5.	(क) उस परिसर के अनुज्ञप्ति संबंधी विशिष्टियां जहां से विस्फोटकों का निर्यात किया जाएगा।
	(ख) उस परिसर के अनुज्ञप्ति संबंधी विशिष्टियां जहां पर विस्फोटकों के आयात के पश्चात विस्फोटकों का भंडारण किया जाएगा ।
6.	क्या आयात / निर्यात किए जा रहे विस्फोटक प्राधिकृत हैं, यदि हां तो कृपया ब्यौरा दे
7.	प्रस्तावित निर्यात परेषण ब्रेक बल्क या अधानीकृत है:

4.	. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय VIII के अधीन किसी अप सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है?   हां नहीं	राध के निए
	(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें	
5.	. (क) क्या आपने विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन पिछले 10 वर्ष के दौरान कोई अनुज्ञप्ति धरित की है?	हां

- (ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृत नहीं की गई? हाँ.... नही....
- (ग) यदि हां, तो कृपया ब्योरा दे ------
- 6. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

[ भाग II-खण्ड 3(i)]

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीखः	- उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान :	(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
	(पूरा नाम)

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाए।
- (2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्षरित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए। कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध माना जाएगा।

प्ररूप एई -9	
(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)	
प्ररूप एल.ई. 9 (विशेष) में अनुज्ञप्ति के अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन	
प्रयोजन ((कृपया चिन्हित करें): अनुदान संशोधन	
1. आवेदक के प्रकार: व्यक्तिगत कंपनी भागीदारी फर्म सोसाइटी ((कृपया चिन्हित करें) सांपत्तिक फर्म	
2. आवेदक का ब्यौरा:	
(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति की मांग की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)	
(ख) आधार संख्या/ सीआईएन संख्या/ फर्म पंजीकरण संख्या	
(ग) यदि व्यष्टि, तो उसकी आयु	
(घ) डाक पता	
शहर जिला राज्य पिन कोडपिन कोड	
एसटीडी कोड सहित फोन नं मोबाइल नं ई-मेल	
3. प्रस्तावित परिसर का पता:	
सर्वे/ गाटा नं./खसरा नं	
मंडल/तालुक/तहसील	
पुलिस थाना जिला जिला क्ला	
राज्य पिन कोड	
4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कर्मियों की अर्हताएं और अनुभव (व्यक्तियों का	
ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो, पृथक पन्ना संलग्न करें)	
5. विनिर्माण हेतु प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा:	
विस्फोटकों का वर्ग एवं प्रभाग यू.एन. वर्गीकरण प्रस्तावित प्रस्तावित औद्योगिक नाम और ब्यौरा एवं संख्या प्रतिदिन वार्षिक अनुज्ञप्ति के उत्पादन उत्पादन	
(एमटी/ एम	

वि	वेस्फोटकों का	वर्ग एवं	प्रभाग	यू.एन. वर्गीक	रण प्रस्तार्ग		प्रस्तावित	औद्योगिक
ना	म और ब्यौरा			ेएवं संख्या	प्रतिर्ा	देन	वार्षिक	अनुज्ञप्ति के
					उत्पा		उत्पादन	अनुसार
					(एमटी/	′ एम.	(एमटी/ एम	वार्षिक क्षमता
					संख्या/		संख्या/ एम	(एमटी/ एम.
					मीटर	मं)	मीटर में)	संख्या/ एम
							·	मीटर में)

6. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अर्ध 	ोन अन्य अनुज्ञप्तियों का ब्यौरा, यदि आवेदक द्वारा विगत 10 वर्षों से धारित हो - 
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई या नवीकृ	त नहीं की गई?  हाँ नही
यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे	
` '	दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के निए निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हां नहीं
(ख) यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दे	
11. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर द	री गई विशिष्टियां सही हैं।
तारीख:	उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान :	पूरा नाम
	(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
<b>टिप्पण</b> : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने	वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।
	। भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी रों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न
(2) अधिभोगी के पासपोर्ट आकार की हस्ताक्ष	ारित रंगीन फोटो की छह प्रतियां संलग्न की जाए।
(3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की सूच	वना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाए।
<b>कानूनी चेतावनी</b> : विस्फोटकों को गलत ढंग से	। संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध  माना जाएगा।
<del>.</del>	प्ररूप एई -10
(विस्फो	ोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)
•	वाले क्षेत्रों में विस्फोटकों का विस्फोटन करने के लिए शाट
प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुदान	संशोधन
 1. आवेदक का ब्यौरा:	
(क) नाम	
(ख) पिता का नाम	
,	
	राज्य पिन कोड
	मोबाइल नं ई-मेल
<ol> <li>आवासीय पता (पते का सबूत संलग्न करें):</li> </ol>	
••	नगर/गांव
	पुलिस थाना
	·
** *	

3. आवेदक की अर्हताएं और अनुभव (दस्तावेजी साध	त्य संलग्न करें) :
4. क्या आवेदक नियोजित है; यदि हां, तो नियोजक	का नाम और पता:
5. मैगज़ीन अनुज्ञप्ति धारक जिसके साथ शाट फायर	जोड़ा जाना है उसके अनुज्ञप्ति का ब्यौरा :
6. विशेषज्ञता का क्षेत्र :	
7. अनापत्ति प्रमाणपत्र की विशिष्टियां:	
(क) जिनके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया	
(ख) प्रमाणपत्र संख्या और तारीख	
8. उस प्रवर्ग और किस्म की विशिष्टियां, जिसके लिए	प्रमाणपत्र अपेक्षित है (नीचे टिप्पण देखिए):
9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
मैं यह प्रमाणित करता हूं कि	
(i) उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं।	
(ii) मुझे यह जानकारी है कि विस्फोटक संचालित करने हेतु अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।	करने से पूर्व मेरे द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से विस्फोटन संक्रिया संचालन
	हारा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को अविधिमान्य रूप से अंतरित एप होगा, जो दंडनीय अपराध का दायी होगा।
(iv) विस्फोटन से पहले और सूर्योदय के बाद और	सूर्यास्त से पहले घोषणाः
(v) मुझे यह जानकारी है कि मैं विस्फोटकों के खर्र	ोद और भंडारण करने लिए प्राधिकृत नहीं हूं।
तारीख:	उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान :	पूरा नाम
<b>टिप्पण</b> : (1) कृपया जन्म-तिथि, शैक्षिक अर्हताएं, अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें।	अनुभव दर्शाने वाले प्रमाणपत्र और चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की
(0) <del>Com</del> 407 <del>2</del> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	<del></del> .

(2) नियम 107 के अनुसार विस्फोटन का प्रवर्ग और प्रकार:

वर्ग	प्रवर्ग	अनुज्ञात विस्फोटन की किस्म
क	असीमित	सभी प्रकार के विस्फोटन
ख	साधारण भूमि के ऊपर	भूमि के ऊपर विस्फोटन संक्रिया के सभी चरण
ग	साधारण भूमि के नीचे	भूमि के नीचे विस्फोटन संक्रिया के सभी चरण
घ	ढहाना	भंजन परियोजनाओं में विस्फोटन के सभी चरण
ङ	भूकंपीय	भूकंपीय पूर्वेक्षण या उत्पादन में विस्फोटन के सभी चरण
च	कृषि	कृषि और कुआं खुदाई में विस्फोटन के सभी चरण
छ	विशेष	उपरोक्त प्रवर्गों के अंतर्गत न आने वाले विशेष प्रयोजन के लिए विस्फोटन

**कानूनी चेतावनी**: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का माना जाएगा।

## प्ररूप एई -11

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)	
आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के विनिर्माण का अधीक्षण करने हेतु फोरमैन के प्रमाणपत्र के अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन	
33.03 ( 121.07 30.43 )	
प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें): अनुदान संशोधन	L
1. आवेदक का ब्यौरा:	
(क) नाम	
(ख) पिता का नाम	
(ग) आयु (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)	
(घ) डाक पता	
·	
शहर जिला राज्य पिन कोड पिन कोड एसटीडी कोड सहित फोन नं मोबाइल नं ई-मेल	-
2. आवासीय पता (पते का सबूत संलग्न करें):	
यः आयात्ताय यता (यत का तथूत तलन्न कर)ः मकान नं/प्लाट नं	
मंडल/तालुक/तहसील	
जिला पिन कोड राज्य पुलिस पाना निकाड	
<ol> <li>आवेदक की अर्हताएं और अनुभव (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) :</li></ol>	
4. विशेषज्ञता का क्षेत्र :	
5. (क) उस कारखाने का नाम और पता जहां आवेदक ने अनुभव अर्जित किया है:	
 (ख) प्रक्रिया या संक्रिया की विशिष्टियां, जिसमें आवेदक ने अनुभव प्राप्त किया है:	
6. (क) उस कारखाने का नाम और पता जहां आवेदक वर्तमान में कार्य कर रहा है:	
(ख) हैसियत जिसमें आवेदक वर्तमान में कार्य कर रहा है:	
7. अन्य कोई सूचनाः	
8. संलग्न दस्तावेजों की सूची:	
मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं ।	
	$\neg$
तारीख: उपरोक्त बॉक्स में आवेदक के हस्ताक्षर	_
स्थान : पूरा नाम	
टिप्पण: कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:	

(i) पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियां।

- (iii) आयु दर्शाता प्रमाणपत्र।
- (iv) यह कथन करने वाला अपेक्षित प्रमाणपत्र कि आवेदक विकलांग नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य वाला है।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का मान जाएगा।";
(ii) आवेदन प्ररूप एई -12 में,-
(क) क्रम संख्या 2 के मद संख्या (ग) में के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"(ग)डाक का पता
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहरतालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन कोड
फोन नईमेलफैक्समोबाइल नं";
(iii) भाग 2 के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात;
भाग-2
अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप
(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 102 और 103 देखिए)
विषय: विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र
सं तारीख:
श्री/मैसर्स द्वारा तारीख को प्ररूप ए.ई. 12 में प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में और विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 102 और नियम 103 के अनुसरण में श्री/मैसर्स के लिए सम्यक रूप से पृष्ठांकित और इससे संलग्न्स्थल नक्शे में दर्शित किए गए सर्वेक्षण सं./गाटा सं./ खसरा संग्राम
तालुकपर परिसर में निम्नलिखित प्रयोजन, प्रकार और मात्रा के लिए विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है ।
<ol> <li>प्रयोजन (टिप्पण: विस्फोटक नियम, 2008 से उपाबद्ध अनुसूची 4 के भाग 1 के प्रयोजनों और प्राधिकार की सारणी में यथावर्णित अनुच्छेद संख्या का तत्स्थानी केवल एक प्रयोजन लिखिए):</li> </ol>
2. विस्फोटकों की किस्म और मात्रा:

क्रम संख्या	विस्फोटकों के नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा
1.			
2.			
3.			

- इस अनापत्ति प्रमाणपत्र को जारी करते समय निम्नलिखित विशिष्टियां सत्यापित/विचारित कर ली गई हैं। 3.
- आवेदक का पूर्ववृत्त (व्यष्टि या स्वामित्व फर्म की दशा में) /भागीदार या कार्यालय (भागीदार या कंपनी की दशा में) या निदेशक (कंपनी की दशा में) या कार्यालय के पदाधिकारी सोसाइटी या संस्था की दशा में और परिसर के अधिभोगी ।
- (ख) आवेदक द्वारा स्थल का विधिपूर्ण कब्जा।

- (ग) लोकहित ।
- खान या खदानों में (आवेदक के कब्जे वाली) या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में प्रयोग के लिए विस्फोटकों की (ঘ) आवश्यकता पर विचार किया गया है।
- प्रयोजन की यथार्थता । (ङ)

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा (जिला मैजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशालय)

- टिप्पण: (1) प्रयोजन की यथार्थता से विनिर्माण के संबंध में अभिप्रेत है--क्या विस्फोटक के विनिर्माण के क्षेत्र या राज्य या देश में विधिपूर्ण रचनात्मक प्रयोग के लिए या निर्यात प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
  - (2) पूर्ववृत्त और क्र. सं. (क) और (ख) में यथावर्णित आवेदक द्वारा स्थल की विधिपूर्ण स्थिति का सत्यापन, खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अनुदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की दशा में लागू नहीं होंगे ।
- (iv) भाग 3 में -
- (अ) प्ररूप एलई- 1 में -
  - (क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात

વરામન્નાલા લ્લા ગાણમાં, ખેતાત્ :-
"एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहरतालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं";
(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"
(आ) प्ररूप एलई- 2 में –
(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहरतालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं
(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री" "
(इ) प्ररूप एलई- 3 में –

- - (क) मद संख्या (क) में "25 किलोग्राम से अनधिक" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर "50 किलोग्राम से अनधिक" शब्दों एवं अंक रखा जाएगा;
  - (ख) मद संख्या (घ) में, "या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;

( <b>ग</b> ) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन
फोन नंईमेलफ़ैक्समोबाइल नं
( <b>घ</b> ) क्रम संख्या 1 के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित  किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"
( <b>ङ</b> ) क्रम संख्या 4 के मद संख्या (ख) में , "अनुच्छेद", शब्द के पश्चात "3(क)", शब्द और अंक अंतःस्थापित किया जाएगा ।
(ई)प्ररूप एलई- 4 में –
(क) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गाटा संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोड
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं
(ख) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"
(उ) प्ररूप एलई- 5 में –
( <b>क</b> )   मद संख्या (ख) में, "चाइनीज पटाखें" शब्दों के स्थान पर "चोरसा पटाखें " शब्द रखा जाएगा;
( <b>ख</b> ) मद संख्या (च) में, अनधिक शब्द के पश्चात्, " चाइनीज पटाखें" शब्द के स्थान पर "चोरसा पटाखे" शब्द रखे जाएगें;
( <b>ग</b> ) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गाटा संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन कोड
फोन नंईमेलफ़ैक्समोबाइल नं
(घ) क्रम संख्या 1 के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"

(ऊ) प्ररूप एलई- 6 में –
( <b>क</b> ) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गाटा संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन कोड
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं
( <b>ख</b> ) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"
(ऋ) प्ररूप एलई- 7 में –
( <b>क</b> ) शीर्षक में, "सड़क वैन में", शब्दों के पश्चात, "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
( <b>ख</b> )क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोड
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं
(ग) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"
( <b>घ</b> ) शर्तों में,-
(i) क्रम संख्या (9) में, "सड़क वैन", शब्दों के पश्चात, "या मोटर ट्रक पर आरूढ फिक्स्ड चेसिस मालवाहक डिब्बा या गूस नेक टाइप सेमी ट्रेलर वाहन" शब्दों के स्थान पर रखा जाएगा;
(ii)क्रम संख्या 13 में, "आरई-5" शब्द और अंक को "आरई -6" शब्द और अंक रखा जाएगा;
(ए) प्ररूप एलई- 8 में –
( <b>क</b> ) शीर्षक में, "भूमि द्वारा से अन्यथा" शब्दों का लोप किया जाएगा।
( <b>ख</b> )क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:
नाम
डाक का पता
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल
जिलाराज्यपिन कोडपिन
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
( <b>ख</b> )क्रम संख्या (1) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित  किया जाएगा;	
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"	
( <b>घ</b> ) शर्तों में,-	
(i) क्रम संख्या (1) में, शब्द "आयातित" के पश्चात "या निर्यातित " शब्दों जाएगा⊣"	को अंतःस्थापित किया
(ii)क्रम संख्या (2) में, शब्द "आयातित" के पश्चात "या निर्यातित " शब्दो जाएगा⊣"	iं को अंतःस्थापित  किया
(iii) क्रम संख्या (3) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित  की	ो जाएगी, अर्थातः-
"(3) इस अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित या निर्यातित सभी विस्फोटकों को वि अनुसूची 2 के नियम 15 और  भाग 2 के उपबंधो के अनुसरण में पैक और चि	
(ऐ) प्ररूप एलई- 9 में –	
( <b>क</b> ) क्रम संख्या 1 में पुलिस स्टेशन से आरंभ होने वाले और स्टीमर घाट के साथ स स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-	तमाप्त होने वाले शब्दों के
एतदद्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है:	
नाम	
डाक का पता	
सर्वे नंबर/गट संख्यागाँव/शहर तालुका/मण्डल	
जिलाराज्यपिन कोड	
फोन नंईमेलफैक्समोबाइल नं	
( <b>ख</b> ) क्रम संख्या 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किया जाएगा;	
"1 (क) अधिभोगी का नाम श्री"	
(v) भाग 4 में "विभिन्न अनुज्ञप्तियों की शर्तों" में,-	
( <b>क</b> ) सेट-1 के आरंभिक पैरा  में "आतिशबाजी" शब्द के पश्चात, "हवाई  आतिशब अंतःस्थापित  किया जाएगा;	ग्राजी से भिन्न" शब्दों को
( <b>ख</b> ) सेट-2 में,-	
(i) शुरूवाती पैरा में "आतिशबाजी" शब्द के पश्चात, "या बारूद या दोनो" शब्द जाएगा;	ों को अंतःस्थापित किया
(ii) शर्तों में, "साधारण" शीर्ष के अधीन,-	
( <b>क</b> ) शर्त क्रमांक (6) में "सुरक्षा फ्यूज, सूक्ष्म रबर फ्यूज" शब्दों का लोप किय	ा जाएगा;
( <b>ख</b> ) शर्त क्रमांक (9) में "प्रकाश और/या" शब्दों का लोप किया जाएगा;	
( <b>ग</b> ) शर्त क्रमांक (10) के पश्चात निम्नलिखित शर्त को अंतःस्थापित  किया	जाएगा, अर्थात् :-
"(10क) क्रम संख्या (1) में शामिल कोई भी शर्त, विस्फोटकों के ि संघटकों के लिए लागू नही होगी।"	वेनिर्माण के लिए प्रयुक्त

- (**घ**) शर्त क्रमांक (13) में, "आपातकाल के दौरान", शब्द के पश्चात, "ऑन-साईट आपातकालीन योजना और" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ঙ্চ) शर्त क्रमांक (18) में, "भंडार गृह", शब्द को "मैगजीन" शब्द के स्थान पर रखा जाएगा;
- (च) शर्त क्रमांक (24) के पश्चात और "आतिशबाजी के लिए विशेष शर्तें के पश्चात, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

- "24(क) मिश्रण और भरण कक्ष में, चिकनी सतह और ऊँचे किनारों वाले कान्क्रीट टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे:
- 24(ख) मिश्रण और भरण शेड के बाहर, मानव शरीर के स्थिर प्रभार के अपव्यय हेतु कॉपर प्लेट संस्थापित किए जाएंगे;
- 24(ग) आतिशबाजी कारखाने में कार्यरत सभी श्रमिकों द्वारा सूती कपड़े पहने जाएंगे;
- 24(घ) विशेष प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रत्येक कारखाने में, प्रमुखता से "क्या करें तथा क्या ना करें" स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे;
- 24(ङ) कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत आतिशबाजी कारखानों द्वारा उपरोक्त अधिनियम और संगत नियमों के अनुसार, सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा; फिर भी, ऐसे आतिशबाजी कारखाने जो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनके द्वारा, कारखाने के किसी एक पर्यवेक्षक को, नोडल सरक्षा अधिकारी के रूप में नियक्त किया जाएगा;
- 24(च) निर्मित या अर्द्ध-निर्मित आतिशबाजी या संघटकों के, ट्राली या लो-लेवल कार्ट द्वारा सुरक्षित परिवहन हेत्, सभी विनिर्माण सुविधाओं को जोड़ने वाले सुकर मार्ग उपलब्ध कराएं जाएंगे।"
- (छ) शर्त क्रमांक (25) के पश्चात, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
  - "(25क)अनुसूची-VII के विनिर्देश संख्या-3 के अनुसार हवाई आतिशबाजी के लिए मिश्रण/भरण/ पेलेट बनाने/ पेलेट लदान/ शेल लदान/ पेलेट सुखाने का आच्छादित चबूतरा/ पेलेट सुखाने का मध्यवर्ती भवन/पेलेट के लिए ट्रांजिट शेड ब्लास्ट वॉल से घिरा होगा।"
- (ज) शर्त क्रमांक (29) में, "एक शुष्कन प्लेटप्ररूप की व्यवस्था की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "प्रक्रिया के आधार पर एक या एक से अधिक शुष्कन प्लेटप्ररूप की व्यवस्था की जाएगी" शब्दों को रखा जाएगा।
- (झ) शर्त क्रमांक (38) में, एमेरसिस शब्द के स्थान पर एमोर सिस शब्द रखे जाएंगे।
- (ञ) शर्त क्रमांक (39) में, "एमोरसिस या पेपरकैप में प्रयुक्त संयोजन ऐसे अनुपात में होगा, प्रत्येक 1000 दोनों के लिए 4.54 मिलीग्राम से अधिक नही होगा" शब्दों एवं संख्या के स्थान पर "एमोरसेस या पेपरकैप में प्रयुक्त संयोजन ऐसे अनुपात में होगा, प्रत्येक 1000 दोनों के लिए 4.54 ग्राम से अधिक नही होगा" शब्द एवं संख्या रखें जाएंगे।
- (ट) शर्त क्रमांक (66) में, "आतिशबाजी", शब्द के पश्चात्, "और फुलझड़ियों" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- (ठ) शर्त क्रमांक, (80) के पश्चात, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

#### "बारूद के लिए विशेष शर्तें

- (81) परिसर या उसके किसी भी हिस्से में, किसी एक समय में, बारूद की कुल मात्रा, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए अनुगति अनुजात की गई है।
- (82) अनुसूची VIII के सुसंगत सारणी में यथानिर्दिष्ट, प्रक्रिया भवन या शेड जैसे, मिश्रण, कुटाई, कोर्निंग, छंटाई, सम्मिश्रण, ट्रांज़िट भवन तथा सुखाने के चबुतरें, किसी भी प्रक्रिया भवन तक और भवन से आंतरिक सुरक्षा दूरी तथा चहारदीवारी से बाहरी सुरक्षा दूरी का पालन किया जाएगा।
- (83) बॉल मिल, कोर्निंग मशीन, कुटाई मशीन, छंटाई मशीन, आदि विद्युत संचालित उपकरणों का प्रभावी ढंग से अर्थिंग किया जाएगा और संबंधित इमारतों के दरवाजो में लिमिट स्विच का प्रबंध कर, ऐसी प्रक्रियाओ को दूरस्थ किया जाएगा।
- (84) बारूद के विनिर्माण में क्लोरेट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (85) सुरक्षित कार्य प्रणाली के अनुसार ही प्रत्येक भवन या शेड में कार्य किया जाएगा।
- (86) ऐसे भवनों के कंपार्टमेंट के आंतरिक भाग की जहां बारूद का विनिर्माण या हथलाई की जाती हैं और वहां रखी मशीनरी या फिटिंग्स की दिन के कार्य की समाप्ति पर सफाई की जाएगी।

- (87) भवन के बारूद विनिर्माण या हथलाई कक्ष से निकला कूड़ा सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया जाएगा और उसका सुरक्षित निपटारा किया जाएगा। उचित उपचार के पश्चात ही उसे प्रवाहित किया जाएगा।
- (88) आसन्न चूंको सिहत सभी असुरक्षित घटनाओं को दर्ज किया जाएगा तथा उनका आवधिक पुनरीक्षण किया जाएगा।
- (89) किसी भी स्थान जहां बारूद विनिर्माण या हथलाई हो, वहां केवल गैर लौह उपकरण और औजार का ही प्रयोग किया जाएगा ।
- (ग) सेट-।।। में, शर्त क्रमांक (11) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-
  - "(12) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप आरई -2 में सभी विनिर्मित एएनएफओ विस्फोटकों का अभिलेख और हिसाब रखा जाएगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन लेखा प्रस्तुत किया जाएगा तथा नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर वह अपना अभिलेख और लेखा प्रस्तुत करेगा।
  - (13) ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विनिर्माण रिकॉर्ड का प्रस्तुतीकरण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होगा";
- (घ) सेट-IV में, शर्त क्रमांक (9) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-
  - "(10) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्ररूप आरई-2 में सभी विनिर्मित लोक्स विस्फोटकों का अभिलेख और हिसाब रखा जाएगा तथा नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर वह अपना अभिलेख और लेखा प्रस्तुत करेगा।";
- (ङ) सेट-V में, शर्त क्रमांक (12) में, "लेखा रखेगा", शब्दों के पश्चात "और अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन प्रस्तुत करेगा" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (च) सेट-VI में, शर्त क्रमांक (13) के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-
  - "(14) अनुज्ञस्धारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सभी विनिर्मित विस्फोटकों का अभिलेख और हिसाब प्ररूप आरई-2 में रखा जाएगा तथा नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर वह अपना अभिलेख और लेखा प्रस्तुत करेगा।":

#### (छ) सेट-VII में -

- (i) शर्त क्रमांक (10) में, शब्द, अक्षर और अंक "आरई-2 और आरई-4" के स्थान पर क्रमशः "आरई-3 और आरई-5" शब्द , अक्षर और अंक को रखा जाएगा;
- (ii) शर्त क्रमांक (16) में "तीन मास", शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक माह" शब्द को रखा जाएगा;

#### (ज) सेट-VIII में -

- (i) शर्त क्रमांक (11) में, "आरई-5" शब्द तथा अंक के पश्चात् "और आरई -13" शब्द, अक्षर तथा अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा:
- (ii) शर्त क्रमांक (14) में, "त्रैमासिक", शब्द के स्थान पर "मासिक" शब्द रखा जाएगा;
- (iii) शर्त क्रमांक (28) के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
- "(29) विस्फोटकों के रखने एवं उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति, विस्फोटकों के उपयोग हेतु प्ररूप आरई-13 में पास जारी करेगा तथा अप्रयुक्त विस्फोटक (यदि कोई हो) तो अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा ।
- (30) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से विस्फोटकों के बिक्री/उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आरई-11 में मांगपत्र जारी किया जाएगा, विस्फोटकों के बिक्री हेतु आरई-12 में और विस्फोटकों के उपयोग हेतु आरई-13 में पास जारी किया जाएगा।";

#### (झ) सेट-IX में -

- (i) प्रारंभिक पैरा में, "या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) शर्त क्रमांक (2) के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त को रखा जाएगा, अर्थात् :-

- भारत का राजपत्र : असाधारण
- "(2) अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकृत विस्फोटक सूची में उल्लिखित प्राधिकृत आतिशबाजी अनुज्ञप्त मैगजीन या दुकान से खरीदेगा";
- (iii) शर्त क्रमांक (10) में, "अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आर.ई.-2 और आर.ई.-3" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर, "अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आरई-3 और आरई-4" शब्दों, अक्षरों और अंको को रखा जाएगा;

#### (ञ) सेट-XI में -

- (i) आरंभिक पैरा में "चीनी" के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा:
- (ii) शर्त क्रमांक (5) में, "परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण", शब्दों के स्थान पर, "परिसर" शब्द रखा जाएगा;
- (iii) शर्त क्रमांक (7) में "फेक्टरी या कंपनी" शब्दों के स्थान पर "मैगजीन या दुकान" शब्द रखें जाएंगे।"

#### (11) सेट-XV में,-

- (i) आरंभिक पैरा में "चीनी" के स्थान पर "चोरसा" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) शर्त क्रमांक (5) में, "मशीनरी, टूल या उपकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) शर्त क्रमांक (8) में "कारखाना या कंपनी", शब्दों के स्थान पर "मैगजीन या दुकान या इस से जुड़े तथा अनुज्ञप्ति प्ररूप एलई-3 के अनुच्छेद (घ) के अधीन विधिवत अनुज्ञप्त भंडारगृह से खरीदेगा" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
- (iv) शर्त क्रमांक (12) के पश्चात निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-"(13) गोपनीय तरीके से आयातित/अनधिकृत आतिशबाजी को रखा और बेचा नही जाएगा।"

#### (vi) भाग 5 में -

- (क) प्ररूप आरई-2 के शीर्षक में, "(आतिशबाजी से भिन्न)" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ख) प्ररूप आरई-3 के शीर्षक में, "(आतिशबाजी से भिन्न)" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ग) प्ररूप आरई-4 के शीर्षक में, "(आतिशबाजी से भिन्न)" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (घ) प्ररूप आरई-12 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

### आर. ई. – 13

## (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 77 के उप-नियम (2) का खण्ड (i) देखिए)

विस्फोटक के प्रयोग के लिए पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक इस्तेमाल के लिए परिवहन पास

	भाग – अ											
कृ	कृपया यह सुनिश्चित करें कि डिटोनेटर्स, अन्य विस्फोटको के साथ, एक ही विस्फोटक वैन / वाहन में नहीं ले जाया जा रहा है											
चे	चेतावनी : डिटोनेटर्स का अन्य विस्फोटकों के साथ परिवहन, विस्फोटकों के परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति प्रपत्र एल ई - 7 की शर्त - 10 का उल्लंघन है											
1.	1. पास सं. : दिनांक :											
2.	2. यह पास निम्नलिखित विस्फोटकों को अंतर्विष्ट किए हुए पैकेजों को समावेषित करता है:											
क्र	इ. <b>सं</b> .	ब्राण्ड नाम (ब्राण्ड आय.डी.)	वर्ग	प्रभाग	मात्रा	इकाई	पैकेजो की संख्या	बैच संख्या	बैच तारीख			
	1											

2															
3															
4															
प्ररूप में, अनुज्ञप्ति संख्या के के अधीन, पर स्थित प्रयुक्त मैग्जीन से खान अधिनियम 1952, के अधीन / खान के अलावा अन्य प्रयोग किए जानेवाले स्थान तक परिवहन के दौरान ।															
3.	विस्फोटक रोड वैन सं														
3.1	डिटोनेटर्स रोड वैन सं जो तक वैध है द्वारा परिवहन किए जाएंगे या अन्य परिवहन के माध्यम से (निर्दिष्ट करें)														
4 1	उपयोग होने वाली खान के एजेंट/मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम														
5.	उपयोग	ग के परिसन्	र का	पूरा प	ता										
6.	होल्स	की संख्या ि	जेन्हें	ब्लास्ट	किया	जाना	है								
7.	उपयोग	ग का उद्देश्य	प												
· × ·	भैगजीन और उपयोग दोने वाले स्थान के बीच की लगभग														
हस्ताक्षर ब्लास्टर का नाम/शाट फायरर 						हस्ताक्षर उपयोग होने वाली खान के एजेंट/मालिक/प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (अनुज्ञप्तिधारी) के लिए अनुज्ञप्ति संख्या अनुज्ञप्ति प्ररूप									
महत्वपूर्ण टिप्पण:  1. जारी किए गए विस्फोटक की मात्रा, दिन के दौरान इस्तेमाल होने की संभावित मात्रा में होना चाहिए   2. उपयोग की जगह मैगजीन से इतनी दूर होनी चहिए कि अगर कुछ विस्फ़ोटक उपरोक्त के बच गया है तो उसे वापस परिवहन द्वारा भेजा जा सकता है और इस प्रकार उपरोक्त के संदर्भ में निर्दिष्ट मैगजीन में डिपाजिट की जाएगी तो नियम 90(4) के अनुसार उसी दिन सूर्यास्त से पहले ही वापस मैगज़ीन मे रख दिया जा सके. वापसी के बारे में प्रविष्टि भी ऑनलाइन की जानी चाहिए															
भाग - ब यदि बचे हुए अप्रयुक्त विस्फोटकों को मैगज़ीन में जमा किया जाना है तो ही भरा जाये :															
संख्या		ण्ड नाम `आई .डी.)	वर्ग प्र	उ गभाग <sup>इ</sup>	उपयोग भेजी गई	के लि हे मात्र	ए लौटाई ग	ई गई मा≂ ———	शा व	वास्तविक उपये गई मात्रा	ोग की	इकाई	पैकेजो की संख्या	बैच संख्या	बैच तारीख
1															
2									+						
3															

4 5										
	हस्ताक्षर टर/ शॉट फायरर 	••••		उपयोग	स्ताक्षर होने वाली खान ालिक/प्राधिकृत व	के यक्ति का नाम 	9	अनूज्ञप्ति	स्ताक्षर	

(Vii) भाग 6 में, परीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, शब्दों के पश्चात "विस्फोटक नियंत्रक/" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (46) मूल नियम में, अनुसूची VI के भाग 2 में, "बल्क मिक्सिंग परिदान (बीएमडी) यान के लिए सुरक्षा उपबंध" के अधीन क्रम संख्या (17) के पश्चात निम्नलिखित क्रम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
  - "(18) निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे :
    - (1) इमलशन मिक्सर:
      - (क) बर्स्टिंग डिस्क डिस्चार्ज पॉइन्ट के पहले जुडा हुआ।
    - (2) प्रोग्रेसिव कैविटि पंप्स :
      - (क) उच्च/निम्न दाब ट्रांसमीटर: पंप के करीब तथा 300 मिमी की अनधिक दूरी पर डिलीवरी लाइन में जोडा जाएगा।
      - (ख) बर्स्टिंग डिस्क- उच्च/निम्न दाब ट्रांसमीटर के जितने करीब हो सकें, डिलीवरी लाइन में, जोडा जाएगा।
      - (ग) तापमान नियंत्रक से जुड़ा सुरक्षा उपकरण पंप के स्टेटर में जोडा जाएगा ।
      - (घ) इसके अलावा, डिलीवरी एण्ड की ओर, प्रोग्रेसिव कैविटि पंप के रोटर की नोक से अधिकतम 25 मिमी की दूरी पर टेम्परेचर ट्रिप का प्रबंध किया जाएगा ।
    - (3) सभी अपकेन्द्री पंप्स :
      - (क) यांत्रिक सील
      - (ख) तापमान नियंत्रक
    - (4) ऑक्सिडायजर संमिश्रण भंडारण टैंक:
      - (क)तापमान नियंत्रक
    - (5) पंप्स ट्रक:
      - (क) अंतिम उत्पाद पम्प में उच्च दाब, निम्न दाब ट्रिप स्विच ।
      - (ख) अंतिम उत्पाद पम्प के तापमान से जुडा सुरक्षा उपकरण ।
      - (ग) अंतिम उत्पाद पम्प में बर्स्टिंग डिस्क ।
      - (घ) वायु/जल फ्लशिंग प्रणाली गैसिंग एजेंट इंजेक्शन पॉइन्ट के ठीक पहले इंजेक्शन पॉइन्ट।
    - (6) आवधिक रखरखाव:
      - (क)प्रचालन से पूर्व, सभी सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता की प्रतिदिन जाँच की जाएगी।

- (ख)प्रतिमाह सभी सुरक्षा उपकरणों को खोलकर, उनकी सफाई कर, उन्हें फिर जोडा जाएगा।
- (19) (1) इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात, सभी नये साइट मिक्सड विस्फोटक संयंत्र/स्वीकृत साइलो, चारों ओर 45 मीटर बाहरी सुरक्षा दूरी का अनुपालन करेंगे।
  - (2) वाहनों के लिए स्वीकृत अधिकतम दूरी निम्नानुसार होगी:
    - (क) मैट्रिक्स के अंतरण हेत्, मूल संयंत्र से साइलो संयंत्र तक 1500 किमी (एकतरफा मार्ग)।
    - (ख) बीएमडी वाहनों हेतु, मूल संयंत्र/साइलो संयंत्र से खान तक, 250 किमी (एकतरफा मार्ग)
  - (3) नए साइलो स्थानों पर निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा:
    - (क) एक साइलो की क्षमता 40 लाख टन से अधिक नहीं होगी।
    - (ख) एक साइट पर साइलों की अधिकतम संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।
    - (ग) आसन्न साइलो के बीच न्यूनतम दूरी, 1.5 मीटर या 0.5 गुना स्यलो के व्यास जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।
- (47) मूल नियम की अनुसूची VII में,
  - (क) विनिर्देश 1 में, क्रम संख्या 1 में,-
    - (i) उप शीर्ष "ग. निर्माण", के मद संख्या (ग) में, दर्शाएं गए, "खिड़कियां, संवातक", शब्दों के स्थान पर,, "खिड़कियां और संवातक", शब्द रखें जाएंगे:
    - (ii) उप शीर्ष "ग. विभागजन दीवारें", के आरंभिक पैरा में, "प्रक्रियाकृत", शब्द के स्थान पर, "प्रक्रिया", शब्द रखें जाएंगे;
  - (ख) विनिर्देश 2 में, क्रम संख्या 3 के उप-शीर्ष "ख. प्रकार" की मैगजीन में "सुवाह्य मैगजीन" शब्दों के पश्चात, "केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए ही" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,
  - (ग) विनिर्देश 3 में-
    - (अ) क्रम संख्या 1 में,-
      - (क) उप-शीर्ष 'गः विस्फोट दीवार' में "विस्फोट सीमा 5 किलोग्राम होगी तथा अनुमोदित व्यक्ति संख्या 2 होगी" शब्द और अंक के पश्चात, "हवाई आतिशबाजी के लिए भरण/ पेलेट लदान/शेल लदान भवन के मामलों विस्फोट दीवार की ऊंचाई 2.76 मीटर होगी और दोनों ओर खुले दरवाजे की चौड़ाई से 0.5 मीटर अधिक होगी। विस्फोट दीवार को 45 डिग्री के घुमावदार कोण में अंत की ओर 90 सेमी से बढ़ाया जाएगा। सभी दिशाओं से शेड और विस्फोट दीवार को कवर करने के लिए एक मजबूत पीतल या गैर संक्षारक धातु की

चिकन तार की जाली वाले छत की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह के विस्फोट दीवार की शेड चारों ओर व्यवस्था की जाएगी।" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- (ख) उप-शीर्षक "'घ. शुष्कन मंच" में,-
  - (I) दसरे पैरा में "मंच की उंचाई 1 से 1.5 स्क्वेर मी. होगी" शब्दों और अक्षरों के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति " लिफ्टिंग चार्जवाले रॉकेट या शेल के मामले में, सुखाने वाले चबूतरे के पूरे क्षेत्र को अर्धगोल 1 मिमी पीतल या गैर संक्षारक धातु की तार की जाली से आच्छादित किया जाएगा। ऐसी तार की जाली को उठने से रोकने के लिए उचित रूप से जमीन से अटकाई जानी चाहिए।" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- (II) पैरा 4 में "आड़/विस्फोट दीवार का विनिर्माण अनुसूची में संलग्न निदेशन-6 के अनुसार होगा" शब्दों के स्थान पर, "स्क्रीन दीवार सीमेंट और ईंट से बनी 23 सेमी मोटी होनी चाहिए" शब्द रखें जाएंगे;
- (ग) उप शीर्षक (ड) टर्निस्ट भवन और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा;
  - "(च) कच्चे माल का भंडारगृह:
    - (क) सल्फर भंडारण कक्ष एक अलग कक्ष होगा जिसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाएगी।

- (ख) अलूमिनियम भंडारण शेड एक अलग कक्ष होगा जिसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की सुरक्षा दूरी रहेगी। कमरे के प्रवेश द्वार पर एक बॉक्सनुमा उभरा हुआ भाग भी होगा (बाजू के प्राकार दीवार के साथ सनशेड)।
- (ग) समर्पित चारकोल कक्ष तथा ऑक्सीडायजर कक्ष जिसके चारों ओर कम से कम 3 मीटर की सुरक्षा दूरी रहेगी, उपलब्ध कराए जाएंगे";
- (घ) क्रम संख्या 2 के अनुच्छेद 2 में,-
  - (क) "भंडारगृह", शब्द के स्थान पर "मैगजीन", शब्द को रखा जाएगा;
  - (ख) मद संख्या (ङ) में, "भंडारगृह", शब्द के पश्चात "ईंट या पत्थर मोर्टार, या कंक्रीट से बनी 34 सेंटीमीटर मोटी दीवारों की एकल मंजिला इमारत होगी और इसका" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ग) के बिन्दु क्रमांक (ज) के पश्चात निम्नलिखित बिन्दु जोडा जाएगा :
    - "(ज) मैगजीन का कार्पेट क्षेत्र, पेपर कैप्स या अमोर्सेस के, 16 वर्ग मीटर प्रति टन का होगा।"
  - (घ) मद संख्या (ञ) में, "अर्मेसेस अथवा क्लोरेट अंतरविष्ट कलर माचिस इस भण्डारगृह में रखें जाएंगे", शब्दों के स्थान पर, "अर्मोसेस अथवा क्लोरेट अंतरविष्ट कलर माचिस इस मैगजीन में रखें जाएंगे " शब्दों को रखा जाएगा;
- (48) मूल नियम में, अनुसूची VIII में, सारणी-6 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी-6 आतिशवाजी विनिर्माण कारखाने की विभिन्न-प्रक्रिया और भंडारण शेडों द्वारा पालन की जाने वाली सुरक्षा दूरी (मीटरों में)

													•			
से	किलोग्राम	मानव	मिश्रण	डुबाने	सुखाने	विनिर्माण	फ्युज		बहन शेड		अभिवहन शेड (तत्काल			कच्ची	आवासगृह,	
	में	सीमा	करने/भरने	वाले	वाले	शेड	रैपिंग	(आर्टि	ोशबाजी)		पलीता	-		अभिवहन	सामग्री	संरक्षित
	विस्फोटकों		वाले शेड	शेड	प्लेटप्ररूप	तक	शेड	तक	किलोर	ग्राम में	सलाई/	माइक्रोक	ार्ड <i>।</i>	शेड	शेड	कार्य या
	केशेड की		तक	तक	तक		तक	क्षमत	Т		फ्यूज)	किलोग्राम	ा में	(पेलेट)	तक	बाहरी
	सीमा										क्षमता			किलोग्राम		सुरक्षा दूरी
								300	400	500	100	150	200	में क्षमता		तक
मिश्रण करने/भरने	5	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
डुबाने वाले शेड	5	2	18	12	18	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
सुखाने वाले प्लेटप्ररूप	25	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
सुखाने वाले प्लेटप्ररूप (पेलेट)	15	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
विनिर्माण शेड	25	4	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
फ्युज रैपिंग शेड	10	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45

अभिवहन	300	2	30	30	30	30	30	30	34	37	30	30	30	30	45	45
शेड	400	2	34	34	34	34	34	34	34	37	34	34	34	34	45	45
(आतिश-	500	2	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	45	45
अभिवहन शेड (तत्काल	100	2	21	21	21	21	21	21	34	37	21	24	26	21	45	45
दिया-सलाई/ माइक्रोकार्ड /	150	2	24	24	24	24	24	24	34	37	24	26	28	24	45	45
फ्यूज)	200	2	26	26	26	26	26	34	34	34	26	28	30	26	45	45
अभिवहन शेड (पेलेट)	50	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	45	45
कच्ची सामग्री का शेड	Х		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	Х	Х

#### टिप्पण -

- 1. अर्धनिर्मित आतिशबाजी के लिए अभिवहन भवन में 2.5 मीटर x 2.0 मीटर आकार के दो कक्ष होंगे, जिनमें पहिए,फ्लॉवरपॉट्स, आदि जैसे गैर विस्फोटक सामग्री के भण्डारण के लिए एक कक्ष तथा पटाखें, एटम बम्ब आदि विस्फोटक सामग्री के भण्डारण के लिए दूसरा कक्ष होगा।
- 2. पारंपरिक आतिशवाजी और हवाई आतिशवाजी आइटम' के विनिर्माण के लिए पृथक अनुज्ञप्तियां प्रदान की जाएगी।
- 3. दो आतिशबाजी कारखानों के बाहरी बाड के बीच की दूरी कम से कम 200 मीटर' होगी
- \* विद्यमान या पहले से ही मंजुरी प्राप्त और निर्माण के अधीन आतिशबाजी कारखानों को इन नियमों के प्रकाशन से पहले यह लाग नहीं होगा।

[फा. सं. 2/9/2013-Expl.]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2011 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772(अ) दिनांक 11 दिसंबर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए।

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Industrial Policy and Promotion)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 9<sup>th</sup> January, 2019

**G.S.R.17(E).**—Whereas the draft rules were published to amend the Explosives Rules, 2008, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosives Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 1440(E), dated the 20<sup>th</sup> day of November, 2017 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 20<sup>th</sup> day of November, 2017;

And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 2008, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-
  - (a) in clause (4), the words "or site mixed explosive (SME)", shall be omitted;
  - (b) in clause (24), for the words "rockets, shells, percussion caps", the words "such as quick match and micro cord" shall be substituted;
  - (c) after clause (24), the following clause shall be inserted, namely:-
    - '(24A) "aerial fireworks" means low hazard explosives, which moves by its own propulsion or shots into the sky through a mortar consisting of paper tube or casing filled with combustible material to deliver sound and pyrotechnic effect and includes shells and rockets;';
  - (d) after clause (25), the following clause shall be inserted, namely:-
  - '(25A) "Fireworks Research and Development Centre" means the Fireworks Research and Development Centre of the Petroleum and Explosives Safety Organisation;';
  - (e) in clause (37),-
    - (i) after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
      - "(e) a Government organisation or a Central or State public sector undertaking any officer nominated in writing by that organisation or undertaking,";
    - (ii) in the long line, the words "deemed to be" shall be omitted;
  - (f) in clause (39), for the word "Celcius", the word "celsius" shall be substituted;
  - (g) in clause (55) the words "or safety fuse not exceeding 50000 meters" shall be omitted.
  - 3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (2), in clause (b) for the word "cuting", the word "acting" shall be substituted.
  - 4. In the principal rules, in rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted;
    - "(1) For the purposes of these rules, the explosives shall be classified in the manner specified in Schedule I annexed to these rules.".
  - 5. In the principal rules, in rule 6,-
    - (a) in sub-rule (1),-
      - (i) for the words "by the Central Government in the Official Gazette", the words "in the official website of the Petroleum and Explosives Safety Organisation:" shall be substituted;
      - (ii) in the proviso, after the words "apply to the", the words "manufacture of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence or" shall be inserted;
    - (b) in sub-rules (4), after the words "Departmental Testing Station", the words "or Fireworks Research and Development Centre" shall be inserted;
    - (c) in sub-rule (12), after the words "Departmental Testing Station", the words "or Fireworks Research and Development Centre" shall be inserted;
    - (d) in sub-rule (13), for the word and figure "rule 3", the words and figures, "sub-rule (3)" shall be substituted;

- (e) in sub-rule (15), in clause (i), sub-clause (d) shall be omitted;
- (f) in sub-rule (17),-
  - (i) in clause (vii), for the words "Central Mining Research Institute", the words "Central Institute of Mining and Fuel Research" shall be substituted;
  - (ii) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(ix) The Chief Controller may exempt the field trials for the explosives manufactured for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence subject to the concurrence and clearance from the Defence Organisations."
- 6. In the principal rules, in rule 10,-
  - (a) in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(c) The buildings to be used for manufacture of explosives shall comply with the specifications laid down in Schedule VII annexed to these rules:

Provided that the buildings for manufacture of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence shall be constructed as per Storage and Transport of Explosives Committee Pamphlet 3.";

- (b) in sub-rule (2), in clause (c), in sub-clause (v), for the letters and figures "AE-7", the letters and figures "AE-8" shall be substituted;
- (c) in sub-rule (5),-
- (i) after the words "sunset and sunrise", the words "unless otherwise specifically permitted by the licensing authority." shall be inserted;
  - (ii) proviso shall be omitted;
- (d) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - '(6A) "Every licensed premises under these rules shall prominently display a "No Smoking" board in local language and in English along with display of "No Smoking" signage.';
- (e) in sub-rule (7),-
  - (i) in clause (c), for the words "is of mentally", the words "is mentally" shall be substituted;
  - (ii) in the long line, for the words "sale, loading", the words "sale, use, loading," shall be inserted;
- (f) after sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that nothing in this sub-rule shall be applicable to ingredients used for manufacture of explosives.".
- 7. In the principal rules, in rule 11, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "(5) No person shall be appointed as a Foreman if he has not passed tenth class and has less than five years experience in the field of manufacture of fireworks or safety fuse.".
- 8. In the principal rules, in rule12, in sub-rule (1), after the word "specification", the letters, figures and words "IS: 2309 as amended from time to time" shall be inserted.
- 9. In the principal rules, in rule 14, in sub-rule (1), in clause (d), for the word "Authority", the word "Association" shall be substituted.
- 10. In the principal rules, in rule 15, in sub-rule (1), in clause (i),-
  - (a) for sub-clause (f), the following sub clause shall be substituted, namely:-
    - "(f) unique identification number of the package (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters marked on two sides of the package;";

- (b) after sub-clause (l), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
  - "(m) a description that not to store explosives below minus 10 degree celsius and above 60 degree celsius.";
- (c) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of fireworks or safety fuse, sub-clause (a) and (l) shall not be applicable and the words "Fireworks "or "Safety Fuse", as the case may be, shall be marked on the outer package:

Provided further that sub-clause (f) shall not be applicable for fireworks.'.

- (d) in sub-rule (2), after the sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely;-
  - "(g) unique identification number of the package (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters marked on the outer package with effect from the date as specified by the Chief Controller.";
- (e) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(3) Markings on explosives of Class 6.- In the case of explosives of Class 6 Divisions 1, 2 and 3 markings shall be made as under, with effect from such date as the Chief Controller may specify:-
  - (a) Class 6 Division 1(for Safety Fuse): Each coil shall bear unique identification number (in the format advised by the Chief Controller) on the outer package in the form of barcode and human readable characters marked;
  - (b) Class 6 Division 2 (for Detonating Cord): Each Spool shall bear unique identification number (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters marked on both sides of spool and on every meter of the detonating cord;
  - (c) Class 6 Division 3 (for Detonators): (i) the name of manufacturer in full or abbreviated form shall be printed or embossed legibly on each piece of detonator and if abbreviated form is used, it shall be registered with the Chief Controller;
    - (ii) each inner package containing 100 plain detonators or each bunch of electric detonators shall bear a unique identification number (in the format as advised by the Chief Controller) in the form of barcode and human readable characters;
    - (iii) in case of Non Electric Detonators or delay detonators, each piece of such detonator shall bear the same markings as on the box.";
- (f) in sub-rule (4), after the words "manufacturer's name,", the words flammable, explodes, emits shower of sparks or shoots flaming balls," shall be inserted;
- (g) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "4(A). The batch number and date of manufacturing of fireworks shall be printed on each package of fireworks.".
- 11. In the principal rules, in rule 20, in sub-rule (1), after the words "licensed factory", the words "including fireworks manufacturing factory" shall be inserted;
- 12. In the principal rules, in rule 21, in sub rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that factory for manufacture of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of the Ministry of Defence shall adhere to the provisions relating to security as mentioned in Defence Security Manual of Department of Defence Production, Ministry of Defence."

- 13. In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (2), after the words "equipment shall be", the words, letters and figures "conforming to IEC, IS/IEC 60079 or IS/IEC 61241 and IS/IEC 60529 codes or" shall be inserted;
- 14. In the principal rules, in rule 24,-
  - (a) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-
    - "(1A) The explosives manufacturers shall enter the particulars of kind and quantity of explosives manufactured daily in the online system made available by the licensing authority.";
  - (b) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:-
    - "(3) The licensee shall submit monthly returns of explosives (other than fireworks) received, sold or transferred or used or destroyed to the Controller as well as District Magistrate in Form prescribed in Part 5 of Schedule V annexed to the rules so as to reach the above authorities within tenth day of every succeeding month and licensee shall also submit monthly return in the online system made available by the licensing authority within tenth day of the succeeding month.";
  - (c) in sub-rule (4), for the word "quarterly", the word "monthly" shall be substituted;
  - (d) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
    - "(5) A person or a firm or a company holding a licence to manufacture or possession for sale or use of explosives shall make necessary arrangement for generating, printing barcodes on packages and cartridges of explosives and suitable scanners to read barcodes and shall also develop necessary information technology set up as advised by the licensing authority.
    - (6) The licensees holding licences to possess for sale or use of explosives shall make necessary arrangement to procure suitable scanners to read barcodes, and shall also develop necessary information technology set up within such time as may be specified by the Chief Controller.".
- 15. In the principal rules, in rule 26,-
  - (a) in sub-rule (2), in clause (g), after the words "blasting accessories", the words "or fireworks" shall be inserted;
  - (b) in sub-rule (3), in clause (e), after the words "testing of", the words "on-site" shall be inserted;
  - (c) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
    - "(7) The licensed premises or manufacturing facilities shall not be leased to any other person, or company or firm or society for possession or manufacture of explosives or fireworks.".
- 16. In the principal rules, in rule 28, in the proviso, after the words "temporarily permit", the words "for a period not exceeding six months," shall be inserted;
- 17. In the principal rules, in rule 29, for the word "resent", the word "present" shall be substituted.
- 18. In the principal rules, for the rule 43, the following rule shall be substituted, namely:-
  - "43. Import or export by land.- (1) No licence for import of explosives by land shall be granted without the previous sanction of the Central Government in each case, wherein the Central Government may impose conditions and restrictions in consultation with the Chief Controller.
  - (2) No licence for export of explosives by land shall be granted without the No Objection Certificate issued by the Indian Mission and the Government of importing country.".
- 19. In the principal rules, in rule 45,-
  - (a) in sub-rule (3),-

- (i) in clause (a) for the words "all such explosives intended to land at the port and are required under these rules to be tested, analysed or examined", the words "necessary explosives as he deems necessary to be tested, analysed or examined under these rules" shall be substituted;
- (ii) for clause (b), following clause shall be substituted;
  - "(b) The master or the agent, as the case may be, shall deliver to the officer referred to in clause (a), without charges, samples of all the explosives of which samples are required to be taken. The samples, if the sampling officer so desires, shall be taken from particular package indicated by him.";
- (b) in sub-rule (5),-
  - (i) in clause (a), for the words "a test certificate in CE-1", the words "or an analysis or examination report or test certificate in CE-1 in the case of a Nitro-compound or a Chlorate mixture, as the case may be" shall be substituted;
  - (ii) in clause (b), the words "each of the certificate in CE-1" shall be omitted;
- (c) in sub-rule (6), for clauses (a) and (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
  - "(a) No imported explosives shall be permitted to be landed by the Commissioner of Customs except with the licence for import of such explosive under these rules and after making such other enquiries as considered necessary.";
- (d) in sub-rule (7), after clause (e), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
  - "(f) No person shall be granted a licence to import explosives, unless he is holding valid licensed premises for possession of the class and quantity of explosives intended to be imported.".
- 20. In the principal rules, in rule 46, in sub-rule (2),-
  - (a) in clause (a) for the word "Authority", the word "Association" shall be substituted;
  - (b) after the sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
    - "(3) No person shall be granted a licence to export explosives, unless he is holding valid licensed premises for possession and sale of the class and quantity of explosives intended to be exported."
- 21. In the principal rules, in rule 48,-
  - (a) in sub-rules (1), after the words "testing officer", the words "or Controller of Explosives" shall be inserted;
  - (b) in sub-rules (2), after the words "testing officer", the words "or Controller of Explosives" shall be inserted.
- 22. In the principal rules, in rule 51, in sub-rule (5), for the word "Authority", the word "Association" shall be substituted.
- 23. In the principal rules, in rule 61, -
  - (a) in the marginal heading after the words "tractor", the words "or a freight container mounted on fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle" shall be inserted;
  - (b) in sub-rule (1), after the words "any explosives in a road van", the words "or freight container mounted on fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle" shall be inserted;
  - (c) in sub-rule (2), after the words "road van", the words "or freight container mounted on fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle, as the case may be" shall be inserted;
  - (d) after the sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
    - "(4) The licence for conveyance of explosives by road in a freight container mounted on a fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle shall be given only when -
      - (a) the explosives are received from foreign countries in freight containers;

- (b) the explosives are exported to other countries in freight containers;
- (c) in an emergency with prior permission of Chief Controller.
- (5) The freight container shall be conforming to International Maritime Dangerous Goods code.
- (6) The maximum weight of explosives that can be carried in a freight container mounted on a fixed chassis motor truck or on a goose neck type semi trailer vehicle shall not exceed 20 MT or the maximum carrying capacity of the vehicle as permitted by Road Transport Authority, whichever is less."
- 24. In the principal rules, in rule 67, after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
  - "(12) Road Vans used for transportation of explosives shall be equipped with necessary devices of Global Positioning System for tracking purpose with effect from such date as the Chief Controller may specify.".
- 25. In the principal rules, in rule 72, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) Sale of explosives in original packages.—The explosive shall be sold in original packages or in smallest package bearing unique identification markings and under no circumstances, explosives shall be sold in quantity less than smallest package.
  - (1A) The markings on each package shall be as per rule 15.".
- 26. In the principal rules, in rule 77, in sub-rule (2), after clause (e) the following clauses shall be inserted, namely:-
  - "(f) A consignee holding a valid licence issued by the Chief Controller or Controller of Explosives shall submit online indent in Form RE-11 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules to the consignor;
  - (g) The consignor on receipt of online indent in Form RE-11 and after due verifications shall supply the kinds and quantities of explosives not exceeding the indented quantity to the consignee after issuing on line pass in Form RE-12 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules;
  - (h) The consignee on receipt of consignment of explosives shall enter kinds and quantities of explosives received by him immediately through the online system in Form RE-3 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules;
  - (i) A person holding a licence for possession and use of explosives granted by the Chief Controller or Controller of Explosives shall issue explosives to the shot firers or blasters only after issuing on line pass for end-use of explosives in Form RE-13 under Part 5 of Schedule V annexed to these rules."
- 27. In the principal rules, in rule 81, the following proviso shall be inserted, namely:-
- "Provided that buildings for storage of explosives for armed forces of the Union and Ordnance factories or other establishments of Ministry of Defence shall be constructed as per Storage and Transport of Explosives Committee pamphlet No. 3.".
- 28. In the principal rules, in rule 82,-
  - (a) in sub-rule (1), the words "or safety fuse not exceeding fifty thousand meters" shall be omitted;
  - (b) in sub-rule (2), the words "or safety fuse" shall be omitted;
- 29. In the principal rules, in rule 83,-
  - (a) in sub rule (1), for the words "gun powder, small arms nitro-compound and safety fuse", the words "gun powder and small arm nitro-compound" shall be substituted;
  - (b) in sub-rule (4), in clause (c), for the word "floor", the word "floors" shall be substituted;
- 30. In the principal rules, in rule 84, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
- "(7) First aid, ambulance and minimum two fire-tenders shall be available for such cluster of fireworks shops.

- (8) A warning board displaying words, 'Explosive and Dangerous Goods' shall be provided in local language at conspicuous places.".
- 31. In the principal rules, in rule 86, in sub-rule (2), the words "or safety fuse" shall be omitted.
- 32. In the principal rules, in rule 87,-
  - (a) the words "or safety fuse" shall be omitted;
  - (b) in the proviso, the words "or safety fuse" shall be omitted.
- 33. In the principal rules, in rule 90, in sub-rule (4), after the words "same was taken", the words "and entries of kind and quantities of explosives returned shall be made in the online system made available by the licensing authority," shall be inserted.
- 34. In the principal rules, in rule 101, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
  - "(5) No approval shall be granted for possession for use of explosives to a person or firm or society or company who is holding a licence for possession and sale of explosives or vice versa.
  - (6) Nothing in the sub-rule (5) shall be applicable to magazines for possession for use and possession for sale located and attached to the explosives manufacturing factories.".
- 35. In the principal rules, in rule 107, in sub-rule (6), for the words "adequate knowledge and experience in related field of handling and blasting explosives", the words "five years experience in the field of manufacture of fireworks and or safety fuse and has passed class ten examination." shall be substituted.
- 36. In the principal rules, in rule 108, in sub-rule (2),-
  - (a) in clause (c), the words "or a succession certificate from a competent court in case of death of licensee being an individual" shall be omitted;
  - (b) in clause (e), the words "regarding transfer of rights of the premises" shall be omitted;
  - (c) in clause (i), in the proviso, after the words "been granted", the words "in the same district" shall be inserted.
- 37. In the principal rules, in rule 112, in sub-rule (10),-
  - (a) for the word "three" at both the places where they occur, the word "six" shall be substituted;
  - (b) for the word "revalidation", the word "renewal" shall be substituted.
- 38. In the principal rules, in rule 113, in the Table,-
  - (a) against serial no 1, in column (6), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:"(viii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (b) against serial no 2, in column (6), after item (ix), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(x) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (c) against serial no 3, in column (6), after item (ix), the following item shall be inserted, namely:-
  - "(x) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (d) against serial no 4,-
    - (i) in column (6),-
      - (A) item (vii) shall be omitted;
      - (B) after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-
        - "(ix) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (e) against serial no 5,-
    - (i) in column (6), after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-
      - "(ix) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";

- (f) against serial no 6,-
  - (i) in column (6), after item (viii), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(ix) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
- (g) against serial no 7,-
  - (i) in column (6), after item (x), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(xi) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (h) against serial no 9,-
- (i) in column (2), for the figures and word "25 kilogrammes" the figures and word "50 kilogrammes" shall be substituted;
  - (ii) in column (6), after item (v), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(vi) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (i) against serial no 10, in column (6), after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(vii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (j) against serial no 11, in column (6), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(viii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (k) against serial no 12,-
    - (i) in column (2), the words "or safety fuse not exceeding 50000 meters" shall be omitted;
    - (ii) in column (6), after item (vi), the following item shall be inserted, namely:-
      - "(vii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (l) against serial no 14, in column (6), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(v) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (m) against serial no 15,-
    - (i) in column (2), for the word "Chinese", the word "Chorsa" shall be substituted;
    - (ii) in column (6), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-
      - "(v) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
- (n) against serial No 16, in column (6), after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-
  - "(v) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
  - (o) against serial no 19,-
    - (i) in column (2), for the word "Chinese", the word "Chorsa" shall be substituted;
    - (ii) in column (6),-
      - (A) item (iv) shall be omitted;
      - (B) after item (v), the following item shall be inserted, namely:-
        - "(vi) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.";
- (p) against serial no 21, in column (2), after the words "road van", the words "or freight container mounted on a fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle" shall be inserted;
  - (q) against serial no 22, in column (2), the words "otherwise than by land" shall be omitted;
  - (r) against serial no 23, in column (6), after item (vii), the following item shall be inserted, namely:-
    - "(viii) Copies of documents in support of rightful possession of the premises.".

- 39. In the principal rules, in rule 115, in sub-rule (1), in clause (b), after the words "criminal offence", the words "involving violence or moral turpitude for a term of not less than six months at any time during a period of five years after the expiration of the sentence" shall be inserted.
  - 40. In the principal rules, in rule 118, in sub-rule (1), clause (I),-
    - (a) in sub-clause (b), after the words "criminal offences", the words "involving violence or moral turpitude for a term of not less than six months at any time during a period of five years after the expiration of the sentence" shall be inserted;
    - (b) after the sub-clause (b), the following sub-clause shall be inserted, namely;-
      - "(c) the licenced premises or manufacturing facilities are leased to any other person, firm, company, society.".
- 41. In the principal rules, in rule 124, for the words "or an authenticated copy granted thereof, is lost or accidentally destroyed, a duplicate may be granted ", the words " is lost or accidentally destroyed, a duplicate copy may be issued" shall be substituted.
  - 42. In the principal rules, in rule 131, in sub-rule (1), for the words "twenty four hours of the happening of the accident by telephone, telegram", the words "twelve hours of the happening of the accident by telephone " shall be substituted.
  - 43. In the principal rules, in Schedule I, in Part-1relating to 'CLASSIFICATION OF EXPLOSIVES',-
    - (a) in Class 2- Nitrate Mixture Class, for the words "as per chlorate", the words "a perchlorate" shall be substituted;
    - (b) in Class 3- Nitro-Compound Class, in serial number (2), after the word "class", the word "has" shall be inserted;
    - (c) in Class 7 Fireworks Class,-
    - (i) for serial number (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted,
    - "(5) Sub-division 1 of Division 2 fireworks comprises fireworks which, in the opinion of Chief Controller are relatively innocuous in themselves and are not liable to explode violently or all at once, e.g., sparklers [Chorsa crackers, serpents, etc.]";
      - (ii) in serial number (6), the words, "high hazard" shall be omitted.
  - 44. In the principal rules, in Schedule II, in Part-1relating to 'METHODS OF PACKING OF EXPLOSIVES FOR INLAND TRANSPORT',-
    - (a) after serial number (3), the following serial numbers shall be inserted, namely:-
      - "(4) (a) The outer package shall be used only once for packing and transport of Explosives;
- (b) When the explosives contained in outer package are removed there from, the outer package shall be destroyed;";
  - (b) in the TABLE,-
- (i) against serial No. 23, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
  - "25 Kilogrammes".
  - 45. In the principal rules, in Schedule IV, in Part-1 relating to 'LICENCES AND LICENSING
    - **AUTHORITIES', -**
      - (a) against Article No 3, in column (2),-
        - (i) in item (a), for the figure "25", the figure "50" shall be substituted;

- (ii) in item (d), the words, "or safety fuse not exceeding 50000 meters" shall be omitted;
- (b) against Article No 5, in column (2),-
  - (i) in item (b), for the word "chinese", the word, "Chorsa" shall be substituted;
  - (ii) in item (f), for the word "chinese", the word, "Chorsa" shall be substituted;
- (c) against Article No 7, in column (2), after the words, "road van" the words, "or freight container mounted on a fixed chassis motor truck or goose neck type semi trailer vehicle shall be inserted;
  - (d) in Article No 8, in column (2), the words "otherwise than by land" shall be omitted.
  - 46. In the principal rules, in SCHEDULE V,-
    - (a) in PART-1, in APPLICATION FORMS,-
    - (i) for "FORM AE-1 to FORM AE-11", the following FORMS shall be substituted, namely:-

"FORM AE-1		Please affix a
(See rule 113 of the Explosives Rules,	2008)	recent passport size colour
APPLICATION FOR APPROVAL OR RANT OR AME TRANSFER OF LICENCE FOR MANUFACTURE OF EXPLOSI		photograph of occupier with signature in front
Purpose (Please tick): Approval Grant Amendme	ent Transfer	: 🔲
<b>1. Type of applicant</b> : Individual Company Partnership Proprietary Firm	Firm Society	
2. Applicant's detail:		
(a) Name in which licence is sought (see note below)		
(b) AADHAR No./CIN No./Firm registration No		
(c) Age in case of individual		
(d) Postal address		
CityStatePIN	Code	
Phone No. with STD codeMobile No	E-mail	
3. Address of the proposed premises:		
Survey/Gat No./Khasra No Town/V	illage	
Mandal/Taluk/TehsilRailway Stat	on	
Police Station District		
StatePIN Code	-	
4. Qualification and experience of applicant and technical personne	l employed by him.	
(Give individual's details and attach separate sheet if required)		

6.	Details	of	explosives	to be	manufactured:
----	---------	----	------------	-------	---------------

Proposed	Class &	UN	Proposed per	Proposed	Annual capacity
Product	Div.	classification	day	annual	as per
(Name of		& No.	production in	production (in	Industrial
explosives)			MT/M.Nos/M.		Licence (in
			Meters)	Meters)	MT/M.Nos/M.
					Meters)

## 7. (a) Details of BMD Vehicles approved (in case of SME plant)

S. No.	Registration No.	Approval No.	Engine No.	Chassis No.	Production capacity (MT)

8. Details of amendment proposed or additional information									
9. (a) Particulars of the other licences unduring the last10 years	9. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant during the last10 years								
(b) Was any licence cancelled or not re									
<b>10.</b> (a) Has the applicant been convicted to	under any offence or ordered to execute bond under								
-	Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes NO								
11. List of documents attached:									
I hereby certify that the above particulars	given by me are correct.								
Date:	Signature of applicant in the box above								
Place:	Full name								
	(Authorised person in case of company)								

**Notes:** Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.

(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

#### FORM AE-2

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OR TRANSFER

Please affix a recent passport size colour photograph of

	GUNPOWDER NOT EXCEEDING 15 KILOGRAMMES NUFACTURE OF ADIRVERTTUS NOT EXCEEDING	occupier with signature in front
Purpose (Please tick): Approval	Grant Amendment Transfer	
<b>1. Type of applicant</b> : Indivi	dual Company Partnership Firm Society	
2. Applicant's details:		
(a) Name in which licence is	sought (see note below)	
(b) AADHAR No./CIN No./F	Firm registration No	
(c) Age in case of individual-		
(d) Postal address		
CityDis	strictPIN Code	
Phone No. with STD cod	leE-mail	
3. Address of the proposed pre-	mises:	
Survey/Gat No./Khasra No.	Town/Village	
Mandal/Taluk/Tehsil	Railway Station	
Police Station	District	
StatePIN	V Code	
(Give individual's details and a	of applicant and technical personnel employed by him.  attach separate sheet if required)	_
	proposed to be possessed any one time: proposed to be manufactured and possessed at any one time	
<b>6.</b> List of documents attached:		
I hereby certify that the above par	ticulars given by me are correct.	
Date:	Signature of applicant in the box above	
Place:	Full name	
	(Authorised person in case of company)	1

**Notes:** Please see the rules for the purpose and documents to be attached.

[भाग  $\Pi$ -खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 53

- (1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and specimen signatures of authorised person to be attached.
- (2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.
- (3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing authority and authority renewing the licence.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

		FORM A	E-3	[	Please affix a
	(See rul	e 113 of the Expl	osives Rules, 2008)		recent passport
OF L EXPL	LICATION FOR APPROVAL OF ICENCE FOR POSSESSION LOSIVES IN A MAGAZINE OF HOUSE	AND SALE O	R POSSESSION AN	ND USE OF	size colour photograph of occupier with signature in front
Purpo	ose (Please tick): Approval	Grant A	mendment Transf	er	
	ype of applicant: Individual [ietary Firm	Company [	Partnership Firm	Society [	
2. A <sub>1</sub>	pplicant's detail:				
(a	n) Name in which licence is sought	(see note below)-			
(b	o) AADHAR No./CIN No./Firm re	gistration No			
(c	e) Age in case of individual				
(d	l) Postal address				
	CityDistrict	State	PIN Code		-
	Phone No with STD code	Mobile	NoE-	mail	
3. Ad	dress of the proposed premises:				
	Survey/Gat No./Khasra No		Town/Village		
	Mandal/Taluk/Tehsil		Railway Station		
	Police Station	Distri	ct		
	StatePIN Code				
4. Qua	alification and experience of app	licant and techni	cal personnel employe	ed by him.	
(Giv	ve individual's details and attach se	-			
5. Qu	nantity of explosives proposed to		sold:		
Sr.	<b>Description of explosives</b>	Class & Div.	<b>Proposed quantity</b>	to be possesse	ed
No.			( in Kg/Nos/Meters	s)	
			At any one time	In a month	

54		THE GAZE	TT	E OF INDIA : EX	TRAORDINARY		[PART II—S	SEC. 3(i)					
	Fireworks proposed house):	to be posse	esse	ed and transfer	red (in case of ]	possessio	on of fireworks in	n a store					
Sr. No.	Description o Fireworks	f Class of Div.	&	Proposed qui possessed	antity (not m	ore tha	an 5000 kg) to	be					
				( in Kg)									
				At any one time In a month									
7. Qua Sr. No.	(ii) (iii) antity of explosives to  Description o explosives	be possesse	ed a	and used:	ntity to be poss	essed							
				At any one ime	To be used day	-	Fo be used inmonth	n a					
exp	ails of the site where	NO	to k		re please attache								
11. Pr	hether the site(s) is cooposed blasting scheen yes, (a) Details of DGl	dule (please	ticl	k): (1) Sunrise t	o sunset (	(2) Rour	nd the clock	]					

(b) Certificate no and its validity (copy to be attached):-----

[भाग II — खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 55

if not, (a) Particulars of proposed activity	
(Documentary evidence such as work orders/quarry lease to be attached)	
(b) Name of shot firer	
(c) Certificate no and its validity	
12. Distance of the site from magazine where explosives to be used:	-
<b>13. Mode of transport:</b> By road van Other means (please specify)	
14. Licence particulars of road van:	
15.(a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the	
applicant during the last10 years	
(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes NO	
If yes give details	
<b>16.</b> (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under	
Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes NO[ (b) If yes, give details	
17. List of documents attached:	
I hereby certify that the above particulars given by me are correct.	
Date: Signature of the applicant in the box above	
Place: Full name	
(Authorised person in case of company)	
Notes: Please see the rules for the purpose and documents to be attached.	
(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and address of	
the occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be and	
specimen signatures of authorised person to be attached.	
(2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attached.	
(3) Any change in the above information should be immediately communicated to the licensing	
authority and authority renewing the licence.	
Statutory Warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious crin under the law.	ninal offence
FORM AE-4	Recent
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)	passport size
APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANT OR AMENDMENT OR TRANSFER OF LICENCE FOR A COMPRESSOR MOUNTED MOTOR TRUCK OR TRACTOR FOR USE IN WELL SINKING	Colour photograph of occupier with signature in front
Purpose (Please tick): Approval Grant Amendment Transfer	
1. Applicant's details:	
(a) Name in which licence is required to be granted (see note below)	

(b) Status (Please tick): Indiv Company	idual Pro	oprietorship	Partnership fi	rm So	ociety
(c) Age (in case of individual)		Adh	aar No		
(d) Postal address:					
CityDist	rict	State	PIN Co	de	
(e) Phone no with STD code		Mobile No	F	E-mail	
2. Qualification and Experien	nce of applicant	•			
(a) Qualification of applicant					
(b) Number of years of experie	_	_	=		
(c) Licence no shot firer emplo	yed				
3. (a) Address of premises wh	_				=
parked when not in use-					
4) P. d. 1 . 6.1					
(b) Particulars of the area w for well sinking purpose	<del>-</del>				
4. Explosives to be possessed Class & name of explosives	_		Maximum	quantity	normittad
Class & name of explosives	(kg/nos./meter	. I I	(kg/nos./mete	quantity rs)	permitted
Class 2 and/or 3 explosives			25 kg		
Class 6(1)Safety Fuse			200 meters		
Class 6(2) Detonating Fuse			100 meters		
Class 6(3) Detonators			200 numbers		
5. Description of compressor	mounted motor	r truck or tracto	r:		
(a) Make & Model			(b) Registration	ı No	
(c) Engine No		(d) Chass	sis No		
(e) Name of registered owner of	of the vehicle:				
(f) Details of explosives boxes	: Name of fabric	ator	Approval No		
<b>6.</b> (a) Has the applicant held of	ther licences und	er Explosives Act	t, 1884 in the las	st 10 years? (	(Y/N)
(b) Has any licence held by	applicant been ca	ancelled or not re	newed in the las	st 10 years? (	(Y/N)
(c) Has the applicant been co	onvicted under a	ny offence or orde	ered to execute	bond under	
Chapter VIII of Code of C		_			
If answer is yes to any of					
7. List of documents attached:					
I hereby certify that the above	particulars give	n by me are corre	ct.		
	r grive	, and confo			
					$\neg$

Date:	Signature of applicant in the box above	
Place:	Full name	
	(Authorised person in case of company)	
<b>Notes:</b> Please see the rules for the purpose	and documents to be attached.	
(1) In case where application is made by a p	person other than individual, the name and address of	
the occupier as per rule 2 and Directors	or partners or members, as the case may be and	
specimen signatures of authorised perso	on to be attached.	
(2) Six copies of the passport size signed co	olour photographs of the occupier to be attached.	
(3) Any change in the above information sh	ould be immediately communicated to the licensing	
authority and authority renewing the lic	ence.	
<b>Statutory Warning:</b> Mishandling and mithe law.	isuse of explosives shall constitute serious criminal	offence under
	FORM AE-5	Please affix a
(See rule 1	13 of the Explosives Rules, 2008)	recent passport size colour
	GRANT OF AMENDMENT OR TRANSFER PER ARTICLE 5(a) to 5(f) OF PART 1 OF	photograph of occupier with signature in front
Purpose (Please tick): Approval Gr	ant Amendment Transfer	
<b>1. Type of applicant</b> : Individual Proprietary Firm		
2. Applicant's details:		
(a) Name in which licence is sought (see	ee note below)	
(b) AADHAR No/CIN No/Firm registr	ation No	-
(c) Age in case of individual		-
(d) Postal address		-
CityDistrict	StatePIN Code	
Phone No with STD code	E-mail	-
3. Address of the proposed premises:		
Survey/Gat No/Khasra No	Town/Village	-
Mandal/Taluk/Tehsil	Railway Station	
Police Station	District	
StatePIN Code		
4. Qualification and experience of application	ant:	

5.	Quantity	of ex	plosives	proposed	to be	possessed:

Sr No	Name and explosives	description of	Class & Div.	Proposed quantity to be pos any one time ( in Kg/Nos/Met	
6. If t	-		-	related to the purpose of use	
арр	Particulars of to	the other licences une last10 years	nder Explosives	Act, 1884, if any held by the	
(b)	Was any licence	e cancelled or not ren	ewed? Yes	No	
	Chapter VIII o	f Code of Criminal P	Procedure, 1973, o	or ordered to execute bond under luring the last 10 years? Yes No	
	ist of document				
		ne above particulars g	riven by me are co	orrect.	
	- J		, <u>,</u>		
_			_		
				gnature of applicant in the box abov	e
Place:				ıll name	
				thorised person in case of company	y)
		rules for the purpose			
(1) In	case where appl	ication is made by a	person other than	individual, the name and address o	f
the	e occupier as per	r rule 2 and Directors	s or partners or m	embers, as the case may be and	
sp	ecimen signatur	es of authorised person	on to be attached.		
(2) Siz	x copies of the p	assport size signed co	olour photograph	s of the occupier to be attached.	
(3) Ar	ny change in the	above information sl	hould be immedia	tely communicated to the licensing	
au	thority and auth	ority renewing the lie	cence.		
Statut	tory Warning	: Mishandling and under the law.	misuse of explo	osives shall constitute serious cr	iminal offence
			FORM AE	-6	Please affix a
		(See rule	113 of the Explos	ives Rules, 2008)	recent passport size colour
	ICATION FOLLAY OF FIRE		OR GRANT	OF LICENCE FOR PUBLIC	photograph of occupier with signature in
Purpo	ose (Please tick)	: Approval G	rant		front
	<b>ype of applica</b> ietary Firm [	nt: Individual	Company	Partnership Firm Society	

2. Applicant's details:	
(a) Name in which licence is sought (see note below)	-
(b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No	
(c) Age in case of individual	
(d) Postal address	
CityPIN Code	
Phone No with STD codeMobile NoE-mail	
3. Address of the proposed premises:	
Survey/Gat No/Khasra No Town/Village Town/Village	
Mandal/Taluk/Tehsil Railway Station	· <b></b> -
Police Station District	
StatePIN Code	
4. Qualification and experience of applicant and technical personnel employed by him:	
(Give individual's details and attach separate sheet if required)	
5. Name, qualification and experience of the person supervising the display:	
6. Description and quantity of Fireworks to be used:	
7. Particulars of the supplier of the fireworks:	
(a) Name	
(b) Address	
(c) Particulars of licence	-
8. Location of the place where the Fireworks to be stored prior to display:	
9. (a) Description and quantity of Fireworks to be displayed	
(b) Date and time of display	
(c) Location of the place where display will be held:	10. 10. (a)
10. (a) Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the	
applicant during the last10 years	
(b) Was any licence cancelled or not renewed? Yes No	
If yes give details:	
11. (a) Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under	
Chapter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years? Yes No. 1975, give details	lo
12. List of documents attached:	
I hereby certify that the above particulars given by me are correct.	

Date:	Signature of applicant in the box above	
Place:	Full name	
	(Authorised person in case of company)	
Notes: Please see the rules for the purpose and document	es to be attached.	
(1) In case where application is made by a person other th	nan individual, the name and address of	
the occupier as per rule 2 and Directors or partners or	members, as the case may be and	
specimen signatures of authorised person to be attached	ed.	
(2) Six copies of the passport size signed colour photogra	phs of the occupier to be attached.	
(3) Any change in the above information should be imme	ediately communicated to the licensing	
authority and authority renewing the licence.		
Statutory Warning: Mishandling and misuse of ex under the law.	plosives shall constitute serious crir	ninal offence
FORM A	AE-7	
(See rule 113 of the Exp	olosives Rules, 2008)	Please affix a recent passport
APPLICATION FOR APPROVAL OR GRANTOR OF LICENCE FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVE CONTAINER MOUNTED ON A FIXED CHASSIS NECK TYPE SEMI TRAILER VEHICLE	S IN A ROAD VAN OR FREIGHT	size colour photograph of occupier with signature in front
Purpose (Please tick): Approval Grant A	mendment Transfer T	
1. Applicant's details:		
(a) Name in which licence is required to be granted (see r	note below)	
(b) Status (Please tick) Individual Company Proprietorship Firm	Partnership Firm Society	
(c) Age (in case of individual)	Adhaar No	
(d) Postal address		
CityState	PIN Code	
(e) Phone no with STD codeMobile	NoE-mail	
2. Address of premises where explosives van is to be	normally stationed:	
3. Kind and quantity of explosives to be carried:		
4. Description of road van/Freight container:		
(a) Make & Model(b) Regi No(d) Chassis No		(c) Engine
(e) Trailer chassis no & make (if applicable)		
(f) Container identification No		

(g) Details and description of freight container	
(h) Name of registered owner of the vehicle	
(i) Gross vehicle weight (in kg)(j) Unladen weight (in kg)	
(k) Carrying capacity permitted by Regional Transport Authority (in kg)	
5. Particulars of the other licences under Explosives Act, 1884, if any held by the applicant	
during the last10 years:	
6. Was any licence cancelled or not renewed? Yes	
If yes give details:	
7. Has the applicant been convicted under any offence or ordered to execute bond under Chapter	•
VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last 10 years. Yes	
If answer is yes to any of the question above, give details:	
8. List of documents attached:	
I hereby certify that the above particulars given by me are correct.	
Date: Signature of applicant in the box a Place: Full name	
(Authorised person in case of company	)
<b>Notes:</b> Please see the rules for the purpose and documents to be attached.	
(1) In case where application is made by a person other than individual, the name and occupier as per rule 2 and Directors or partners or members, as the case may be signatures of authorised person to be attached.	
(2) Six copies of the passport size signed colour photographs of the occupier to be attac	hed.
(3) Any change in the above information should be immediately communicated to authority and authority renewing the licence.	the licensing
Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious crituments under the law.	minal offence
FORM AE-8	Please affix a recent passport
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)	size colour photograph of
APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR IMPORT OR EXPORT OF EXPLOSIVES	occupier with signature in front
Purpose (Please tick): (Please tick) Import of explosive Export of explosives	
1. Type of applicant: Individual Company Partnership Firm Society   Proprietary Firm	
2. Applicant's details:	
(a) Name in which licence is sought	
(b) AADHAR No/CIN No/Firm registration No	-
(c) Age in case of individual	_

City	yStatePIN	Code
Pho	one No with STD codeMobile No	E-mail
<b>Detail</b> s	s of import and export of explosives:	
Sr No	Details	
1	Export:	
	a) Generic Name(s), Authorized Name and Class of explosives, proposed for export.	
	b) Kinds & Quantities of explosives proposed for export	
	Import:	
	a) Name & description of explosives, UN No, Hazard Division & Compatibility Group of explosives proposed for import.	
	b) Kinds & Quantities of explosives proposed for import	
2	a) Name and address of consignee in case of export	
	b) Name and address of consignor in case of import	
3	Mode of export/import	Sea / Air / Road
4	a) Place or port of dispatch in case of Export by Sea/Air.	
	b) Name of the Indian Border of dispatch in case of Export by Road.	
	c) Country of Foreign port of loading in case of import.	
5	a) Licence particulars of the premises from where explosives will be exported.	
	b) Licence particulars of the premises where explosives will be stored after import.	
6	Are the explosives to be imported/exported are authorised, if yes please give details	
7	The proposed export/import consignment is break bulk or containerized:	
Has t	he applicant been convicted under any offence or ordered to	execute bond under
Chap	eter VIII of Code of Criminal Procedure, 1973, during the last give details	t 10 years? Yes No
	you held any licence under Explosives Act, 1884 during the	
(ŀ	b) If yes, was any licence cancelled or not renewed? Yes [	$\square$ No $\square$

## 6. List of documents attached:

I hereby certify that the above particulars given by me are correct.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

Date		Signature of applicant in the box above	
	(A	Authorised person in case of a company)	
Place	(N	Name in full)	
Notes: Pl	ease see the rules for the purpose and docum	nents to be attached.	
(1)		erson other than individual, the name and a partners or members, as the case may be a ched.	
(2)	Six copies of the passport size signed colo	our photographs of the occupier to be attach	ed.
(3)	Any change in the above information sauthority and authority renewing the licen	should be immediately communicated to ace.	the licensing
Statutory	Warning: Mishandling and misuse of under the law.	explosives shall constitute serious crim	inal offence
	FOR	M AE-9	Please affix a
	(See rule 113 of the I	Explosives Rules, 2008)	recent passport size colour
	ATION FOR GRANT OR AMENDMEN E-9 (Special)	T OR TRANSFER OF LICENCE IN	photograph of occupier with signature in
Purpose (	Please tick): Grant Amendment		front
<b>1. Type</b> Proprietar	of applicant: Individual Company ry Firm	Partnership Firm Society	
2. Applio	cant's details:		
(a) Na	me in which licence is sought (see note belo	ow)	
(b) A	ADHAR No/CIN No/Firm registration No		
(c) Ag	ge in case of individual		
(d) Po	stal address		
-			
C	itySta	atePIN Code	-
P	hone No with STD codeMo	bile NoE-mail	
3. Addres	ss of the proposed premises:		
Surv	ey/Gat No/Khasra No	Town/Village	
Mar	ndal/Taluk/Tehsil	Railway Station	
Poli	ce Station D	istrict	
Stat	ePIN Code		
4. Qualifi	cation and experience of applicant and te	chnical personnel employed by him.	
	dividual's details and attach separate sheet it		

# ${\bf 5.\ Details\ of\ explosives\ proposed\ to\ be\ manufactured:}$

Name and description of explosives	UN classification & No.	Proposed per day production in MT/M.Nos/M. Meters)	Proposed annual production (in MT/M.Nos/M. Meters)	Annual capacity as per Industrial Licence (in MT/M.Nos/M. Meters)

last10 years							_
		ed or not renewed			······································		
If yes gi	ive details:						
<b>7.</b> (a) Has the	applicant been of	convicted under ar	ny offence or or	dere	d to execute bond un	ıder	
					he last 10 years? Yes	s No	
8. List of doc	cuments attached	1:					
I hereby certif	y that the above	particulars given	by me are corre	ect.			
Date:				_	nature of applicant i		
				(Aı	uthorised person in c	ase of co	mpany)
Notes: Please	see the rules for	the purpose and	documents to be	e atta	ached.		
(1) In case wh	ere application i	s made by a perso	on other than in	divid	lual, the name and a	ddress of	
the occupi	er as per rule 2 a	and Directors or p	artners or mem	bers,	as the case may be	and	
specimen s	signatures of aut	thorised person to	be attached.				
(2) Six copies	of the passport	size signed colour	photographs o	f the	occupier to be attack	hed.	
(3) Any chang	ge in the above in	nformation should	l be immediatel	y co	mmunicated to the li	censing	
authority a	and authority ren	newing the licence	·.				
Statutory Wa	arning: Mishar the law	_	e of explosives	shal	l constitute serious	criminal	offence under
			FORM AE-10				Diagram of the co
		(See Rule 113 o	of the Explosive	es Rı	ales, 2008)		Please affix a recent
			SIVES IN ARI		FIRER'S CERTIF NOT COMING U		passport size colour photograph of occupier with signature in
Purpose (Plea	ase tick): G	rant Ameno	dment				front
1. Applicant	t's details:						
(a) Name-							

Code
CodeE-mailPIN Code the employer: to be attached:
Code E-mailPIN Code the employer: o be attached:
the employer:
the employer:  b be attached:
the employer:  b be attached:
the employer:  b be attached:
the employer:  be attached:
the employer: o be attached:
the employer:o be attached:
% date:(see note below):
to be obtained by me from the local
unauthorised person (s), it may lead to
oplicant in the box above

(2) Category and type of blasting as per rule 107:

Class	Category	Type of blasting permitted
A	Unlimited	All type of blasting

В	General aboveground	All phase of aboveground blasting operation								
С	General underground All phase of underground blasting operation									
D	Demolition All phases of blasting in demolition projects									
Е	Seismic	All phases of blasting in seismic prospecting or production								
F	Agricultural	All phases of blasting in agriculture and well sinking								
G	Special	Blasting for special purpose not covered under the above categories								

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

### FORM AE-11

Please affix a

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)	recent passport size
APPLICATION FOR GRANT OR AMENDMENT OF FOREMAN'S CERTIFICATE SUPERVISE MANUFACTURE OF FIREWORKS OR SAFETY FUSE	colour photograph
Purpose (Please tick): Grant Amendment	of occupier with
1. Applicant's details:	
(a) Name	
(b) Father's name:	-
(c) Age (attach documentary evidence)	
(d) Postal address	
CityPIN Code	
Phone No with STD codeMobile NoE-mail	-
3. Residential address (attach address proof):	
House/Plot No: Town/Village	
Mandal/Taluk/TehsilPolice Station	
DistrictPIN Code	-
4. Qualification and experience (attach documentary evidence):	
5. Field of specialization:	
6. (a) Name and address of the factory where the applicant has acquired experience:	
(b) Particulars of the process or operation in which the applicant has gained experience	:
7. (a) Name and address of the factory where the applicant is working at present:	<b></b>
(b) Capacity in which the applicant is working at present:	<b></b>

[भाग II — खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 67

9. List	of docur	ments attached:						
I certif	y that the	above particulars are true and correct.						
Date: -			Signature of applica	ant in the box above				
Place:			Full name					
Notes	: Please e	nclose the following documents with the	he application					
	(i) Fo	ur copies of signed passport size colour	r photograph.					
	(ii) Ex	perience certificate						
	(iii) Ce	rtificate of age proof						
	(iv) Me	edical certificate stating that the applica	ant is not handicapped	and having good health				
Statut	ory War	ning: Mishandling and misuse of exp the law. ";	plosives shall constitu	te serious criminal offence under				
(ii) i	n FORM	AE-12,-						
(iii) f	or PART	-2, the following PART shall be substi	tuted, namely:-					
	(ii) Experience certificate (iii) Certificate of age proof (iv) Medical certificate stating that the applicant is not handicapped and having good health atutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law. "; (ii) in FORM AE-12,- (a) against serial number 2, in item no (c) for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted; (iii) for PART-2, the following PART shall be substituted, namely:- "PART 2  FORMAT OF NO OBJECTION CERTIFICATE (See rule 102 and 103 of the Explosives Rules, 2008)  abject: No Objection Certificate under the Explosives Rules, 2008  Date							
		FORMAT OF NO OBJ	ECTION CERTIFICA	ATE				
		(See rule 102 and 103 of t	he Explosives Rules, 2	2008)				
Subjec	et: No Ob	jection Certificate under the Explos	ives Rules, 2008					
No:			D	ate				
kind ar	i/M/s s no objec  nd quanti	ction for granting the licence under the darkersof addressties of explosives in the premises situstaluka/tehsiltaluka/tehsil	Explosives Rules, 200 ated at Survey No/Gat	O3 of the Explosives Rules, 2008, 18 to Shri/M/sfor the following purpose, 2 No/Khasra No,				
1.		Signature of applicant in the box above Full name  Please enclose the following documents with the application  (i) Four copies of signed passport size colour photograph.  (ii) Experience certificate  (iii) Certificate of age proof  (iv) Medical certificate stating that the applicant is not handicapped and having good health  ry Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law. ";  FORM AE-12,-  (a) against serial number 2, in item no (c) for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;  r PART-2, the following PART shall be substituted, namely:-  "PART 2  FORMAT OF NO OBJECTION CERTIFICATE  (See rule 102 and 103 of the Explosives Rules, 2008)  ENO Objection Certificate under the Explosives Rules, 2008  With reference to the application in Form AE-12 of Explosives Rules, 2008 to Shri/M/s-  and in pursuance of rules 102 and 103 of the Explosives Rules, 2008,  to objection for granting the licence under the Explosives Rules, 2008 to Shri/M/s-  of address-  of address-  for the following purpose,  quantities of explosives in the premises situated at Survey No/Gat No/Khasra No  taluka/tebsil-  in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.  Purpose (Note: write only one purpose corresponding to one Article No. as stated in table of purposes and authority in Part 1 of Schedule IV annexed to the Explosives Rules, 2008):  Kind and quantities of explosives:  S. No Name of explosives  Class & Division Quantity						
2.	Kind a	nd quantities of explosives:						
	S. No	Name of explosives	Class & Division	Quantity				
FORMAT OF NO OBJECTION CERTIFICATE  (See rule 102 and 103 of the Explosives Rules, 2008)  Subject: No Objection Certificate under the Explosives Rules, 2008  No:  With reference to the application in Form AE-12 of Explosives Rules, 2008 dated—by Shri/M/s——and in pursuance of rules 102 and 103 of the Explosive there is no objection for granting the licence under the Explosives Rules, 2008 to Shri/M/s——for the follow kind and quantities of explosives in the premises situated at Survey No/Gat No/Khasra No.—village——taluka/tehsil——District——State—as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.  1. Purpose (Note: write only one purpose corresponding to one Article No. as stated in taband authority in Part 1 of Schedule IV annexed to the Explosives Rules, 2008):  2. Kind and quantities of explosives:  S. No Name of explosives  Class & Division Quantity								
	2							

3. The following particulars have been verified/considered while issuing this On Objection Certificate;

3

(a) The antecedents of the applicant (in case of individual or proprietary firm/partner or office (in case of partnership firm/company) or Directors (in case of company) or office bearers in case of society or association and also occupier of the premises.

- (b) The lawful possession of the site by the applicant.
- (c) Interest of public.
- (d) Requirement of explosives for use in mines or quarries (possessed by the applicant) or in the area proposed by the licensee have been considered.
- (e) Genuineness of purpose.

# Signature of the no objection certificate issuing authority with his office seal (District Magistrate or Director General of Mines Safety)

- Note: (1) Genuineness of the purpose means relating to manufacture –whether there is need for manufacture of the explosives for lawful constructive use in the area or state or country or for export purpose.
  - (2) Verification of antecedents and Lawful possession of the site by applicant as stated in serial nos. (a) and (b) are not applicable in case of 'No Objection Certificate' granted by Director General of Mines Safety.".

#### (iv) in PART 3,-

#### (A) in FORM LE-1,-

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with
  - "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier ----";

#### (B) in FORM LE-2,-

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat" the words "Mobile number" shall be substituted;
  - (b) after serial number1, the following serial number shall be inserted, namely:-
    - "1 (a) Name of the occupier -----";

#### (C) in FROM LE-3,-

- (a) in item (a), for the words and figures "exceeding 25 kilogrammes", the words and figures "exceeding 50 kilogrammes" shall be substituted;
- (b) in item (d), the words, "or safety fuse not exceeding 50000 meters", shall be omitted;
- (c) in serial number1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (d) after serial number1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier -----";
- (e) in serial number 4, in item (b), after the words "under Article", the figure and letter, "3(a)," shall be inserted;

#### (D) in FORM LE-4,-

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier----";

#### (E) in FORM LE-5,-

- (a) in item (b), for the word "Chinese crackers", the word "Chorsa crackers" shall be substituted;
- (b) in item (f), for the word "Chinese crackers", the word "Chorsa crackers" shall be substituted:

- (c) in serial number1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (d) after serial number1 the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier -----";

#### (F) in FORM LE-6,

- (a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (b) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier----;

#### (G) in FORM LE-7,-

- (a) in the heading, after the words "IN A ROAD VAN", the words "OR FREIGHT CONTAINER MOUNTED ON MOTOR TRUCK OR GOOSE NECK TYPE SEMI-TRAILER VEHICLE" shall be inserted;
- (b) in serial number1, for the words statrting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words, "Mobile number" shall be substituted;
- (c) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier-----;
- (d) in the CONDITIONS,-
  - (i) in serial number (9), for the words "explosives van", the words "road van or freight container mounted on motor truck or goose neck type semi trailer vehicle" shall be substituted;
  - (ii) in serial number (13), for the "letters and figure "RE-5", the letters and figure "RE-6" shall be substituted;

#### (H) in FORM LE-8,-

- (a) in the heading, the words "OTHERWISE THAN BY LAND" shall be omitted;
- (b) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with "Steamer Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;
- (c) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier----";
- (d) in the CONDITIONS,-
  - (i) in serial number (1), after the word "imported", the words, "or exported" shall be inserted;
  - (ii) in serial number (2), after the word "imported", the words, "or exported" shall be inserted;
  - (iii) for serial number (3), the following serial number shall be substituted, namely:-
- "(3) All explosives imported or exported under this licence shall be packed and marked in accordance with the provisions of rule 15 and Part 2, under Schedule

II of Explosives Rules, 2008.";

#### (I) in FORM LE-9,-

(a) in serial number 1, for the words starting with "Police Station" and ending with

"Steamer/ Ghat", the words "Mobile number" shall be substituted;

- (b) after serial number 1, the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "1 (a) Name of the occupier----";
- (v) in PART 4, in 'CONDITIONS OF VARIOUS LICENCES',-
  - (a) in Set-I, in the opening paragraph, after the words "manufacture fireworks", the words "other than aerial fireworks" shall be inserted;
  - (b) in Set-II-
  - (i) in the opening paragraph, after the words "manufacture fireworks", the words "or gunpowder or both" shall be inserted;
    - (ii) in CONDITIONS, under the heading "General",-
      - (a) in condition (6), the words "safety fuse/micro cord" shall be omitted;
      - (b) in condition (9), the words "flame and/or" shall be omitted;
      - (c) after condition (10), the following condition shall be inserted, namely:"(10A) Nothing contained in serial number (1) shall be applicable to
        ingredients used for manufacture of explosives";
      - (d) in condition (13), after the words "shall be conversant with", the words "on site emergency plan and" shall be inserted;
      - (e) in condition (18), for the word "storehouse", the word, "magazine" shall be substituted;
      - (f) after condition (24), and heading "Special conditions for fireworks" the following conditions shall be inserted, namely:-
        - "24(a) Concrete tables with smooth surface and raised borders shall be provided in mixing and filling rooms;
        - 24(b) Copper plates shall be installed outside mixing, filling sheds for dissipation of static charge of the human body;
        - 24(c) The workers employed in the fireworks factory shall wear cotton clothes;
        - 24(d) Do's and Dont's shall be prominently displayed in the local language as per the requirements of the particular process in each factory shed;
        - 24(e) Fireworks factories registered under the Factories Act 1948 shall employ Safety Officer in accordance with the said Act and relevant Rules. However, the Fireworks factories not registered under the Factories Act, shall appoint one of the supervisors as nodal safety officer of the factory;
        - 24(f) Smoothened pathways connecting all the manufacturing facilities shall be provided for the safe movement of trolley or low-level carts transporting finished or semi finished fireworks or ingredients.";
        - (g) after condition (25), the following condition shall be inserted, namely:-
          - "(25a) The Mixing /filling/pellet making/pellet loading/shell loading /pellet shaded drying platform/intermediate pellet drying buildings/ transit shed for pellet for aerial fireworks shall be surrounded by a blast wall as per specification no. 3 under Schedule-VII.";

- (h) in condition (29), for the words "One drying platform shall be provided", the words "One or more drying platform shall be provided depending on the process" shall be substituted;
- (i) in condition (38), for the word "amerces", the word "amorces" shall be substituted;
- (j) in condition (39), for the words and figures "amerces or paper caps shall be in a proportion not exceeding 4.54 mgs.", the words and figures "amorces or paper caps shall be in a proportion not exceeding 4.54 grams." shall be substituted;
- (k) in condition (66), after the word "fireworks", the words "and sparklers" shall be inserted;
- (1) after condition (80), the following shall be inserted, namely:-

#### "Special conditions for Gunpowder

- (81) The total quantity of gunpowder in the premises or any part thereof shall not exceed at any one time the quantity for which licence has been granted.
- (82) Process buildings or sheds *viz*, mixing, pounding, corning, sieving, blending, transit building and drying platforms shall observe inner safety distance to and from any process building and an outer safety distance from the fence as specified in relevant tables of Schedule VIII.
- (83) The electrically operated equipments like ball mill, corning machine, pounding machine, sieving machine, etc., shall be earthed effectively and such operations shall be made remote by providing limit switch on the door of the respective building.
- (84) No chlorate shall be used in the manufacture of gunpowder.
- (85) Work in each building or shed shall be carried out strictly in accordance with the safe working procedures.
- (86) The interior of the compartments of the building in which gunpowder is manufactured or handled and the machinery or fittings therein shall be thoroughly cleaned at the end of day's work.
- (87) Sweepings from the compartments of the building in which gunpowder is manufactured or handled shall be carefully collected and disposed of safely and the effluent shall be discharged only after proper treatment.
- (88) All incidents shall be recorded including the near-misses and shall be reviewed periodically.
- (89) Only non-ferrous tools and implements shall be used where ever gunpowder is manufactured or handled.";
- (c) in Set-III, after condition (11), the following conditions shall be inserted, namely:-
  - "(12) The licensee shall keep records and accounts of all ANFO explosives manufactured in Form RE-2 and submit accounts daily through online system of licensing authority and shall exhibit his books and records to any of the officers authorised under the rules whenever such officer may call upon him to do so.
  - (13) The submission of manufacturing record through online system shall come into force from the date specified by the licensing authority";
- (d) in Set-IV, after Condition (9), the following condition shall be inserted, namely:-

- "(10) The licensee shall keep records and accounts of all LOX explosives manufactured in Form RE-2 and shall exhibit his books and records to any of the officers authorised under the rules whenever such officer may call upon him to do so.";
- (e) in Set-V, in condition (12), after the words "shall keep records and", the words "submit accounts daily through online system of the licensing authority" shall be inserted;
- (f) in Set-VI, after condition (13), the following condition shall be inserted, namely:-
  - "(14) The licensee shall keep records and accounts of all explosives manufactured in Form RE-2 and submit accounts daily through online system of licensing authority and shall exhibit his books and records to any of the officers authorised under the rules whenever such officer may call upon him to do so.";
- (g) in Set-VII,-
  - (a) in condition (10), for the letters, figures and words "RE-2 and RE-4", the letters, figures and words "RE-3 and RE-5" shall be substituted;
  - (b) in condition (16), for the word "quarter", the word "month" shall be substituted;
- (h) in Set-VIII,-
  - (i) in condition (11), after the letters and figures "RE-5", the word, letters and figures, "and RE-13" shall be inserted;
  - (ii) in condition (14), for the word "quarterly", the word, "monthly" shall be substituted;
  - (iii) after condition (28), the following conditions shall be inserted, namely:-
    - "29. The licensee for possession and use of explosives shall issue Pass for use of explosives in Form RE-13 and return of unused explosives (if any) through online system of the licensing authority.
    - 30. The licensee for possession for sale/use of explosives shall issue indent in RE-11, Pass for sale of explosives in RE-12 and Pass for use of explosives in RE-13
  - through online system made available by the licensing authority.";
- (i) in Set-IX,-
  - (i) in the opening paragraph the words "or safety fuse and not exceeding 50000 meters, shall be omitted;
  - (ii) for condition 2, the following condition shall be substituted, namely:-
    - "(2) The licensee shall purchase authorised fireworks as mentioned in the list of authorised explosives from a licensed magazine or shop";
  - (iii) in condition (10), for the words, letters and figures "manufactured and of all stock in hand in Forms RE-2 and RE-3", the words, letters and figures "purchased and of all stock in hand in Forms RE-3 and RE-4" shall be substituted;
- (i) in Set-XI,-
- (i) in the opening paragraph, for the word "Chinese", the word "Chorsa" shall be substituted;
- (ii) in condition (5), for the words "premises or machinery, tools or apparatus", the words "premises" shall be substituted;
  - (iii) in condition (7), for the words "factory or company for possession and sale from the", the words, "magazine or" shall be substituted;
  - (iv) in condition (12), for the word "sale", the word "sold" shall be substituted;

#### (k) in Set-XV,-

- (i) in the opening paragraph, for the word "Chinese", the word "Chorsa" shall be substituted;
- (ii) in condition (5), the words "or machinery, tools or apparatus" shall be omitted;
- (iii) in condition (7), for the word "amerces", the word "amorces" shall be substituted;
- (iv) in condition (8), for the words "factory or company for possession and sale from the shop", the words "the magazine or the shop or received the same from the storehouse attached to it and duly licensed under article (d) of licensed Form LE-3." shall be substituted;
- (v) after condition (12), followings shall be inserted, namely:-
  - "(13) Clandestinely imported/ unauthorized fireworks shall not be possessed and sold."

#### (vi) in PART-5,-

- (a) in FORM RE-2, in the heading, the words "(OTHER THAN FIREWORKS)", shall be omitted;
- (b) in FORM RE-3, in the heading, the words "(OTHER THAN FIREWORKS)", shall be omitted:
- (c) in FORM RE-4, in the heading, the words "(OTHER THAN FIREWORKS)", shall be omitted;
- (4) after the FORM RE-12, the following form shall be inserted, namely:-

#### "FORM RE-13

[See clause (i) of sub-rule (2) of rule 77 of the Explosives Rules, 2008]

Pass Part - A	for Use of Exp A	olosives I	Pass is	ssued by	the Li	censee to T	ransport Explos	ives for Use					
Please ensure that Detonators are not transported along with other Explosives in the same Explosives Van/Vehicle simultaneously.													
Warning: Transportation of Detonators with other explosives is in violation of Condition (10) of Licence in FORM LE-7 for transportation of explosives.													
1.	Pass No. :				Date:		••••						
2.	This pass covers	packages	s contair	ning followir	ng explo	sives :							
S. No.	Brand Name (Brand ID)	Class	Div.	Quantity	Unit	Nos. of Package	Batch Nos.	Batch Date					
1.													
2.													
3.													

	while transit from Use magazine covered under Licence No.:, in Form:, situated at:to place of use covered under Mines Act,  1952 /other than mines at:														
3.	number	The explosives are being transported by road van number													
3.1	AND The Detonators are being transported by road van numberhaving licence numbervalid uptoor other mode of transport (specify)														
4.	Name of Agent of Mine /Owner/authorised person of site of use														
5.	Full Addres	ss of Site	of Use												
6.	No. of hole														
7. Purpose of use															
8. Approximate distance between magazine and site of use															
Nan	nature ne of Blaster/Sl iificate No.:			Name of Mine/Ow place of	Signature Name of the Agent of Mine/Owner/authorised person of place of use					Signature					
can	_	e of use n back and	nay be a I deposit	t a distance ted in the m	from maga nagazine re	azine so that ferred in Sr.	if an No.	1y e		eft un-used					
Tob	e filled in case	explosiv	es are le	ft unused ar	Part –		: Ma	.gaz	ine :						
S. No.	Brand Name (Brand ID)	Class	Div.	Quantity Issued for Use	Quantity Returned	Quantity Actually Used	Quantity Actually Ur		Nos. of Package	Batch Nos.	Batch Date				
1															
2															
Nan	nature ne of Blast ificate No.:	er/Shot		Signature Name of Mine/Ow place of t	rized person	of	 (A 	gnature(Lice cence Numbe	ensee) er						

(vii) in PART-6, after the words "signature of", the words "Controller of Explosives/" shall be inserted;

- 47. In the principal rules, in Schedule-VI, in Part 2, under the heading 'SAFETY PROVISIONS FOR BULK MIXING DELIVERY (BMD) VEHICLES', after serial number (17), the following serial number shall be inserted, namely:-
  - "(18) The following safety devices shall be provided:
    - (1) Emulsion Mixer:
      - (a) Bursting Disk fitted before discharge point.
    - (2) Progressive cavity pumps:
    - (a) High/Low Pressure Transmitter to be fitted in the delivery line very close to the pump and not more than 300 mm away
    - (b) Bursting Disk to be fitted in the delivery line as close as possible to high/low pressure transmitter.
    - (c) Dry running protection connected to temperature controller to be fitted in the stator of pump.
      - (d) Temperature trip to be provided at a maximum distance of 25 mm from the tip of the rotor of the Progressive cavity Pump towards delivery end.
    - (3) All Centrifugal pump:
      - (a) Mechanical seal
      - (b) Temperature controller
    - (4) Oxidiser blend storage tank:
      - (a) Temperature controller
    - (5) Pump truck:
      - (a) High pressure, Low pressure Trip switch in the final product pump
      - (b) Dry running protection linked to temperature in the final product pump
      - (c) Bursting Disk in the final product pump
      - (d) Air/Water flushing system injection point just before Gassing Agent injection point.
      - (6) Periodic maintenance:
        - (a) All safety devices functioning should be checked daily before starting the operation.
      - (b) Periodic opening, cleaning and refitting of all safety devices should be done on monthly basis.
    - (19) (1) All new Site Mixed Explosives plant /Silo approved subsequent to publication of these rules, shall observe an outer safety distance of 45 meter all around.
      - (2) The maximum distances allowed for vehicles shall be as follows:
        - (a) 1500 km. (one way) from mother plant to Silo Plant for transfer of matrix.
        - (b) 250 km. (one way) for BMD vehicles from mother plant / Silo to mine site.
      - (3) The new Silo locations shall observe following requirements-
        - (a) Capacity of a Silo shall not exceed 40 MT.
        - (b) Maximum number of Silo at one site shall not exceed three.
        - (c) The minimum distance between adjacent Silos shall not be less than 1.5 meter or 0.5 times of diameter of silo whichever is higher.".

- 48. In the principal rules, in Schedule VII,-
  - (a) in specification 1, in serial number 1,-
- (i) in the sub-heading 'C. Construction', in item (c) for the words "windows ventilators", the words, "Windows and ventilators" shall be substituted;
  - (ii) in the sub-heading 'D. Partition Walls', in the opening paragraph, for the word "processed", the word "process" shall be substituted;
  - (b) in specification 2, in serial number 3, in sub-heading 'Type 'B' magazine', after the words "portable magazine", the words "for temporary purpose only" shall be inserted;
  - (c) in specification 3,-
    - (i) in serial number 1,-
      - (A) in the sub-heading 'C. Blast wall', after the words and figure, "man limit of 2", the words and figures "persons. In case of filling/pellet loading/shell loading buildings for aerial fireworks, the height of the blast wall shall be 2.76 meters and the width shall be 0.5 metre wider than the door opening on both sides. The blast wall shall be extended by 90 cm towards the end with a turn angle of 45 degrees. A robust Brass or non-corrodible metal chicken wired mesh roof shall be provided covering the shed and the blast wall in all the directions. Such blast wall shall be provided around the sheds." shall be inserted;
      - (B) in sub-heading 'D. Drying Platform',-
        - I. in paragraph 2, after the words and figures "1 to 1.5 meters", the words "In caseof rocket/shells with lifting charge, the entire area of drying platform shall be covered with hemi-spherical 1mm brass or non-corrodible metal wire mesh and they shall be hooked to the ground appropriately to avoid its lifting." shall be inserted;
        - II. in paragraph 4, for the words "The construction of the screen/blast wall shall be as per specification 6 attached to this schedule.", the words, "The screen wall shall be 23 cm thick made of cement and brick." shall be substituted;
- (C) after sub-heading 'E. Transit Building' and the entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-
  - "F. Raw material Store:
    - (a) Sulphur storage room shall be a separate room maintaining minimum 3 meters distance all around.
    - (b) Aluminium storage shed shall be a separate room with 3 meters safety distance all around. The room shall also have a box type projection at the entrance (sun shade with side parapet wall).
    - (c) Dedicated Charcoal room and Oxidiser's rooms shall be provided having 3 meters safety distance all around.";
  - (ii) in serial number 2, in paragraph 2,-
  - (A) for the word "storehouse", the word "magazine" shall be substituted;
  - (B) in item (e), after the words "The magazine shall", the words "be single storied building with 34 centimeters thick walls built of brick or stone mortar, or concrete and shall" shall be inserted;
  - (C) in item (h), for the word, "amerces" the word "amorces" shall be substituted;
  - (D) in item (J), for the words "amerces or colour matches which contain chlorate shall be kept under the store house", the words "amorces or colour matches which contain chlorate shall be kept under the magazine" shall be substituted.".
- 49. In the principal rules, in Schedule VIII,-
  - (a) in Notes-(1), for the word "tow", the word "two" shall be substituted;
  - (b) for "Table-6" the following Table shall be substituted, namely:-

#### "Table-6

Safety distance (in meters) to be observed by various process and storage sheds of fireworks manufacturing factory

From	Explosives	Man	To	To	To	To	To	To transit shed	Transit shed	To	To raw	To

	Limit of the shed (in kg)	Limit	mixing/fill- ing shed	dipping shed	drying platform	manuf- acturing shed	fuse wrapp- ing shed	(fireworks) capacity (in kg)				(quick match/micro cord /fuse)of capacity (in kg)		transit shed (pellet) of capacity (in kg)	material shed	dwelling house, protected works or outside safety distances
								300	400	500	100	150	200	50		uistances
Mixing/filling shed	5	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Dipping shed	5	2	18	12	18	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Drying platform	25	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Drying platform (Pellet)	15	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Manufac-turing shed	25	4	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Fuse wrapping shed	10	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
Transit shed	300	2	30	30	30	30	30	30	34	37	30	30	30	30	45	45
(fireworks)	400	2	34	34	34	34	34	34	34	37	34	34	34	34	45	45
	500	2	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	45	45
Transit shed	100	2	21	21	21	21	21	21	34	37	21	24	26	21	45	45
(quick match/micro	150	2	24	24	24	24	24	24	34	37	24	26	28	24	45	45
cord /fuse)	200	2	26	26	26	26	26	34	34	34	26	28	30	26	45	45
Transit shed (pellet)	50	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	45	45
Raw material shed	X		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	X	X

#### Note:-

- 1. The Transit building for semi-finished fireworks will have two compartments each of size 2.5 meters x 2.0 meters one each for the storage of *light emitting* items like wheel, flowerpots etc. and another for storage of *sound emitting* items like crackers, atom bombs etc.
- 2. Separate licences shall be granted for manufacturing of conventional fireworks and aerial fireworks items\*.
- 3. Separation-distance between outer fencings of two fireworks factories shall be at least 200m\*.
  - \*This will not be applicable to fireworks factories existing or already approved and under construction before publication of these Rules.".

[F. No. 2/9/2013-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

**Note :** The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 907(E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2008 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 65(E) dated 24th January, 2011 and G.S.R. 772(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2013.